SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

# वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अनुपालन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

संघ सरकार

आर्थिक कार्य विभाग

(वित्त मंत्रालय)

2026 की प्रतिवेदन संख्या 29

# वर्ष 2024-25 के लिए
# राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अनुपालन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

Khalid Bin Jamal

Digitally signed by Khalid Bin Jamal
Date: 2026.08.07 16:48:29 +05'30'

## संघ सरकार
## आर्थिक कार्य विभाग
## (वित्त मंत्रालय)
## 2026 की प्रतिवेदन संख्या 29

# विषयवस्तु



| शीर्षक | पृष्ठ सं. |
|---|---|
| प्रस्तावना | v |
| कार्यकारी सारांश | vii |
| अध्याय 1: परिचय | 1 |
| अध्याय 2: एफआरबीएम लक्ष्य और उपलब्धियां | 7 |
| अध्याय 3: प्रकटीकरण और पारदर्शिता | 29 |
| अनुलग्नक | 41 |
| शब्दावली | 53 |

# प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 की धारा 7ए के अंतर्गत बनाए गए नियम 8 के अनुसार, एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुपालन की वार्षिक समीक्षा करने तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 से ऐसी समीक्षा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया था।

यह प्रतिवेदन मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुपालन पर सीएंडएजी का दसवाँ प्रतिवेदन है। प्रतिवेदन एफआरबीएम लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों, राजकोषीय नीतिगत विवरणों में किए गए पूर्वानुमानों के साथ वास्तविकता की तुलना, तथा प्रकटीकरण विवरणों में दी गई सूचना की पर्याप्तता की जांच करता है।

इस प्रतिवेदन में अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा से प्राप्त निष्कर्ष सम्मिलित हैं। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए किए गए नमूना लेखापरीक्षण के दौरान संज्ञान में आए। जहाँ प्रासंगिक हो, वहाँ वित्तीय वर्ष 2024-25 से पूर्व की अवधि से संबंधित ऐसे मामलों को भी सम्मिलित किया गया है, जिनका प्रभाव राजकोषीय संकेतकों पर पड़ता है।

# कार्यकारी सारांश

# कार्यकारी सारांश

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 को केंद्र सरकार के घाटे तथा उसके परिणामस्वरूप ऋण को मध्यम अवधि में एक स्थाई स्तर तक कम करने के लिए एक वैधानिक रूपरेखा प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था, ताकि राजकोषीय प्रबंधन में अंतर-पीढ़ीगत समानता तथा दीर्घकालिक वृहद आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

यह प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा की गई वार्षिक समीक्षा है। इस प्रतिवेदन में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के संदर्भ में विश्लेषण को नए आधार वर्ष 2022-23 के आधार पर केवल तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2022-23 से 2024-25 तक सीमित रखा गया है।

वर्ष 2018 में किए गए संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार के ऋण तथा सामान्य सरकारी ऋण में कमी के लक्ष्य को सात वर्षों की अवधि में प्राप्त किया जाना निर्धारित किया गया था। इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक सामान्य सरकारी ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 60 *प्रतिशत* तथा केंद्र सरकार के ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 40 *प्रतिशत* तक सीमित रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

हमारी समीक्षा से यह ज्ञात हुआ कि यद्यपि केंद्र सरकार का ऋण, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, पिछले दो वर्षों में घटकर वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक 58.46 *प्रतिशत* रह गया, तथापि 40 *प्रतिशत* का सनसेट लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका। केंद्र सरकार का ऋण निरपेक्ष रूप से पिछले वर्ष की तुलना में ₹14.24 लाख करोड़ अथवा 8.29 *प्रतिशत* बढ़ गया, जिसका प्रमुख कारण आंतरिक ऋण में वृद्धि थी।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक ₹38.40 लाख करोड़ की कर राशि कथित तौर पर जुटाई गई थी, किंतु उसकी वसूली शेष थी (विवरण डी-1 : जुटाए गए लेकिन वसूल न किए गए कर राजस्व)। यह अप्राप्त राशि पिछले वर्ष की तुलना में ₹7.29 लाख करोड़ बढ़ गई, जिसमें से ₹4.80 लाख करोड़ अविवादित थे। विवरण डी-2 (ब्याज की बकाया

राशि) में कुछ कमियाँ दृष्टिगोचर हुईं, जहां दर्शाए गए आँकड़े संघ सरकार के वित्त लेखों में दर्शाए गए आँकड़ों से भिन्न थे। इसके अतिरिक्त, विवरण डी-4 में प्रकट की गई वित्तीय परिसंपत्तियों (विदेशी सरकारों तथा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए ऋण) की राशि प्राप्ति बजट में भिन्न थी। अंततः, हमने वार्षिक वित्तीय विवरण 2024-25 की तुलना में अर्द्धवार्षिक विवरणों (एच-1 एवं एच-2) तथा मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण में प्रयुक्त विभिन्न राजकोषीय मानकों के बजट अनुमान के आँकड़ों में भी भिन्नताएँ पाईं।

# अध्याय 1

# परिचय

# अध्याय 1 परिचय

## 1.1 एफआरबीएम अधिनियम

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003, 26 अगस्त, 2003 को पारित किया गया था। यह अधिनियम तथा इसके नियम 5 जुलाई 2004 से प्रभावी हुए। वर्ष 2003 से, मूल अधिनियम में वर्ष 2004, 2012, 2015 और 2018 के दौरान चार बार संशोधन किया गया है। **अनुलग्नक 1.1** में वर्ष 2003 से मूल अधिनियम तथा नियमों में किए गए संशोधनों का सारांश प्रस्तुत किया गया है।

अधिनियम का उद्देश्य दीर्घकालिक वृहद-आर्थिक स्थिरता और अंतर-पीढ़ीगत समानता को बढ़ावा देना है। एफआरबीएम अधिनियम, 2003 में विनिर्दिष्ट तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रासंगिक लक्ष्य निम्नलिखित हैं :

केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक:

- सामान्य सरकारी ऋण सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 60 *प्रतिशत* से अधिक न हो।

  **[धारा 4(1)]**

  "*सामान्य सरकारी ऋण*" को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के ऋणों के कुल योग[1] के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें अंतर-सरकारी देयताओं[2] को शामिल नहीं किया गया है।

- केंद्र सरकार का ऋण जीडीपी के 40 *प्रतिशत* से अधिक न हो।

  **[धारा 4(1)]**

---

[1] भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अनुसार, "भारत सरकार की सहमति के बिना कोई राज्य कोई ऋण नहीं ले सकता है, यदि भारत सरकार अथवा उसकी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राज्य को दिए गए किसी ऋण का कोई भाग अभी भी बकाया है अथवा जिसके संबंध में भारत सरकार या उसकी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा कोई गारंटी दी गई है।" तदनुसार, भारत सरकार निर्धारित मानकों के आधार पर प्रत्येक राज्य सरकार के लिए उधारियों की वार्षिक सीमा निर्धारित करती है।

[2] राज्य सरकारें तथा संघ सरकार परस्पर एक-दूसरे के प्रति कितनी देयता रखती हैं।

- ❖ किसी भी वित्तीय वर्ष में, भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर किसी ऋण के संबंध में जीडीपी के आधा *प्रतिशत* से अधिक की अतिरिक्त गारंटी न दी जाए।

**[धारा 4(1)]**

- ❖ वित्त मंत्री बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की अर्द्धवार्षिक आधार पर समीक्षा करेंगे तथा ऐसी समीक्षाओं के परिणाम संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

**[धारा 7(1)]**

- ❖ यदि अर्द्धवार्षिक समीक्षा (अर्थात सितंबर के अंत में) का परिणाम यह दर्शाता है कि (i) कुल गैर-ऋण प्राप्तियां बजट अनुमान (बीई) के 40 *प्रतिशत* से कम हैं, तथा (ii) राजस्व घाटा (आरडी)[3] और राजकोषीय घाटा (एफडी)[4] वर्ष के लिए बीई के 70 *प्रतिशत* से अधिक हैं, तो वित्त मंत्री पहली छमाही की समाप्ति के तुरंत बाद वाले सत्र के दौरान संसद में एक विवरण प्रस्तुत करेंगे, जिसमें किए गए सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा होगा।

**[नियम 7]**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, मध्य-वर्षीय (अर्थात सितंबर के अंत में) समीक्षा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की गई। एच1 विवरण में प्रस्तुत विस्तृत परिणाम **अनुलग्नक 1.2** में दिया गया है।

- ❖ केंद्र सरकार 31 मार्च 2021[5] तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के तीन *प्रतिशत* तक सीमित रखेगी।

**[धारा 4(1)]**

---

[3] "राजस्व घाटा" से अभिप्राय राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों के मध्य अंतर से है।

[4] "राजकोषीय घाटा" से अभिप्राय किसी वित्तीय वर्ष के दौरान भारत की संचित निधि से किए गए कुल संवितरणों का, ऋण प्राप्तियों तथा ऋण पुनर्भुगतानों को छोड़कर, निधि में प्राप्त कुल प्राप्तियों पर आधिक्य से है।

[5] अधिनियम में किसी अन्य संशोधन की अनुपस्थिति में, सरकार राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के एक व्यापक मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वित्तीय वर्ष 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 *प्रतिशत* से कम का राजकोषीय घाटा स्तर प्राप्त किया जा सके, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में खाका तैयार किया गया था और वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति (एमटीएफपी) विवरणों में भी दोहराया गया था।

## 1.2 एफआरबीएम अधिनियम और नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अन्य दायित्व

केंद्र सरकार संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष निम्नलिखित प्रस्तुत करेगी:

- मध्यम-अवधि राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति कार्यनीति (एमटीएफपी सह एफपीएस) विवरण (प्रपत्र एफ1 में):

  *इस विवरण में, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, राजकोषीय संकेतकों अर्थात राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा[6], कर राजस्व, गैर-कर राजस्व तथा केंद्र सरकार के ऋण के लिए, तीन-वर्षीय रोलिंग लक्ष्य शामिल होते हैं।*

- वृहद-आर्थिक रूपरेखा विवरण (प्रपत्र एफ2 में) - एमईएफ विवरण:

  *वृहद-आर्थिक रूपरेखा विवरण में आधारभूत मान्यताओं के विनिर्देशन सहित अर्थव्यवस्था की वृद्धि संभावनाओं का आकलन शामिल होगा।*

- मध्यम-अवधि व्यय रूपरेखा (एमटीईएफ) विवरण (प्रपत्र एफ3 में):

  *यह विवरण (प्रपत्र एफ3 में) निर्धारित व्यय संकेतकों के लिए आधारभूत मान्यताओं और जोखिमों सहित तीन-वर्षीय रोलिंग लक्ष्य प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के को छोड़कर, सरकार संसद के समक्ष यह विवरण प्रस्तुत नहीं करती रही है। शीतकालीन सत्र 2024 के दौरान संसद में प्रस्तुत किए गए एमटीईएफ विवरण 2024 को प्रस्तुत न करने के संबंध में विचलन के विवरण में यह कहा गया था कि निरंतर बनी हुई अभूतपूर्व वैश्विक अनिश्चितता, अल्पावधि/मध्यमावधि में प्राप्तियों/व्यय पर उचित अनुमान लगाने/परियोजना तैयार करने की क्षमता को बाधित करती है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया था कि प्रतिकूल वैश्विक घटनाओं के किसी भी संभावित प्रभाव से निपटने में सक्षम होने के लिए सरकार के लिए अपनी राजकोषीय नीति के संचालन में लचीलापन बनाए रखना आवश्यक था।*

[6] "प्राथमिक घाटा" से अभिप्राय राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतानों को घटाने पर प्राप्त राशि से है।

- ❖ केंद्र सरकार कुछ परिस्थितियों[7] को छोड़कर रिज़र्व बैंक से ऋण नहीं लेगी। **[धारा 5(1)]**
- ❖ केंद्र सरकार अपने लेखों का एक मासिक विवरण तैयार करेगी। **[धारा 7(1ए)]**
- ❖ कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, गारंटी, परिसंपत्ति रजिस्टर तथा वार्षिकी परियोजनाओं पर देयता के संबंध में पाँच प्रकटीकरण प्रपत्र (डी-1 से डी-5)[8] नियमों में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, जिन्हें बजट के साथ संसद में प्रस्तुत किया जाता है।

**[नियम 6]**

## 1.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और अधिदेश

एफआरबीएम अधिनियम, 2003 की धारा 7ए[9] तथा एफआरबीएम नियम, 2004 के नियम 8 के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को वित्तीय वर्ष 2014-15 से, केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों

---

[7] केन्द्र सरकार, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान नकद प्राप्तियों पर नकद संवितरणों की अस्थायी अधिकता को पूरा करने हेतु, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ किए गए अथवा किए जाने वाले करारों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक से अग्रिमों के रूप में उधार ले सकती है:

बशर्ते कि किसी वित्तीय वर्ष में नकद प्राप्तियों पर नकद संवितरणों की अस्थायी अधिकता को पूरा करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए किसी भी अग्रिम का पुनर्भुगतान, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 17 की उपधारा (5) में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

रिज़र्व बैंक राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध की स्थिति, राष्ट्रीय आपदा, कृषि उत्पादन तथा कृषकों की आय को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाले कृषि क्षेत्र के पतन, अर्थव्यवस्था में ऐसे संरचनात्मक सुधार जिनके अप्रत्याशित राजकोषीय निहितार्थ हों, अथवा किसी तिमाही में वास्तविक उत्पादन वृद्धि में पूर्ववर्ती चार तिमाहियों के औसत की तुलना में कम-से-कम तीन *प्रतिशत* अंक की गिरावट होने की स्थिति में, केन्द्र सरकार की गारंटियों के प्राथमिक निर्गमों की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। रिज़र्व बैंक द्वितीयक बाजार में केन्द्र सरकार की गारंटियों का क्रय और विक्रय कर सकता है अथवा अपने पास धारित केन्द्र सरकार की गारंटियों का, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा केन्द्र सरकार के मध्य पारस्परिक सहमति से, केन्द्र सरकार की अन्य गारंटियों के साथ रूपांतरण कर सकता है।

[8] प्रकटीकरण प्रपत्र (डी1) - जुटाए गए लेकिन वसूल न किए गए कर राजस्व, (डी2) - गैर-कर राजस्व की बकाया राशि, (डी3) - सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ, (डी4) - परिसंपत्ति पंजिका तथा (डी5) - वार्षिकी परियोजनाओं पर देयता। ये प्रकटीकरण ऐसे आँकड़े उपलब्ध कराते हैं जो वित्त लेखों (नकद आधार पर तैयार किए जाने के कारण) में गारंटियों को छोड़कर समाविष्ट नहीं होते हैं, किन्तु राजकोषीय संकेतकों की दृष्टि से महत्त्व रखते हैं।

[9] एफआरबीएम समीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करना - केन्द्र सरकार, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की आवश्यकता अनुसार समय-समय पर समीक्षा करने का कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंप सकती है तथा ऐसी समीक्षा रिपोर्टें संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएंगी।

के अनुपालन की वार्षिक समीक्षा करने का अधिकार दिया गया है। इस समीक्षा में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- ❖ अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों, मध्यम-अवधि राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति कार्यनीति विवरण, वृहद-आर्थिक रूपरेखा विवरण तथा मध्यम-अवधि व्यय रूपरेखा विवरण में निर्धारित लक्ष्यों और प्राथमिकताओं की प्राप्ति एवं अनुपालन का विश्लेषण।
- ❖ अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के संदर्भ में प्राप्तियों, व्यय तथा वृहद-आर्थिक मापदंडों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण।
- ❖ अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति को प्रभावित करने वाले राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों अथवा देयताओं के वर्गीकरण से संबंधित टिप्पणियाँ।
- ❖ केंद्र सरकार द्वारा अपने राजकोषीय कार्यकलापों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु किए गए प्रकटीकरणों का विश्लेषण।

तदनुसार, सीएजी द्वारा अब तक नौ (9) प्रतिवेदन **(तालिका 1.1)** तैयार किए जा चुके हैं।

**तालिका 1.1: संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत सीएजी प्रतिवेदन**

| क्रम संख्या | सीएजी प्रतिवेदन | वित्तीय वर्ष जिससे प्रतिवेदन संबंधित है |
|---|---|---|
| 1 | 2016 की प्रतिवेदन संख्या 27 | 2014-15 |
| 2 | 2017 की प्रतिवेदन संख्या 32 | 2015-16 |
| 3 | 2018 की प्रतिवेदन संख्या 20 | 2016-17 |
| 4 | 2021 की प्रतिवेदन संख्या 6 | 2017-18 और 2018-19 |
| 5 | 2022 की प्रतिवेदन संख्या 18 | 2019-20 |
| 6 | 2022 की प्रतिवेदन संख्या 32 | 2020-21 |
| 7 | 2024 की प्रतिवेदन संख्या 1 | 2021-22 |
| 8 | 2025 की प्रतिवेदन संख्या 3 | 2022-23 |
| 9 | 2025 की प्रतिवेदन संख्या 19 | 2023-24 |

## 1.4 लेखापरीक्षा पद्धति

यह समीक्षा मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में की गई, जो एफआरबीएम अधिनियम के प्रशासन के लिए नोडल विभाग है। यह प्रतिवेदन संघ

सरकार वित्त लेखे (यूजीएफए) 2024-25 तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2026-27 तक के क्रमिक बजट दस्तावेजों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, विश्लेषण के लिए लोक उपक्रमों (पीएसई) के प्रमाणित वार्षिक लेखों तथा संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी जीडीपी आंकड़ों का उपयोग किया गया है। इसके अलावा, प्रतिवेदन में जीडीपी के संदर्भ में आंकड़ों का विश्लेषण नए आधार वर्ष[10] 2022-23 के आधार पर केवल तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2022-23 से 2024-25 तक सीमित रखा गया है। तथापि, अन्य वृहद-आर्थिक मापदंडों के संबंध में प्रवृत्ति विश्लेषण पाँच वित्तीय वर्षों के लिए किया गया है।

मंत्रालय के साथ 06 अप्रैल 2026 को एक प्रारम्भिक बैठक आयोजित की गई तथा क्षेत्रीय लेखापरीक्षा 06 अप्रैल 2026 से 15 मई 2026 के बीच की गई। प्रारूप प्रतिवेदन वित्त मंत्रालय (एमओएफ) को 05 जून 2026 को जारी किया गया तथा उस पर उत्तर 30 जून 2026 को प्राप्त हुए। एक समापन बैठक 25 जून 2026 को आयोजित की गई थी।

## 1.5 आभार

अभिलेख उपलब्ध कराने तथा इस लेखापरीक्षा के संचालन को सुगम बनाने में आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्रदान किए गए सहयोग के लिए हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।

## 1.6 प्रतिवेदन की संरचना

वर्तमान प्रतिवेदन, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की जांच हेतु एफआरबीएम नियम, 2004 के नियम 8 के अनुसार भारत के सीएजी द्वारा की गई वार्षिक समीक्षा है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

**अध्याय 1 :** एफआरबीएम अधिनियम और नियमों का परिचय तथा अधिदेश

**अध्याय 2 :** एफआरबीएम लक्ष्य और उपलब्धियां

**अध्याय 3 :** प्रकटीकरण और पारदर्शिता

---

[10] एनएसओ प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 27 फरवरी 2026।

अध्याय 2

# एफआरबीएम लक्ष्य और उपलब्धियाँ

# अध्याय 2 एफआरबीएम लक्ष्य और उपलब्धियां

## 2.1 केंद्र सरकार का ऋण और सामान्य सरकारी ऋण

एफआरबीएम अधिनियम, 2003 की धारा 2(एए) किसी तिथि पर केंद्र सरकार के ऋण को निम्नानुसार परिभाषित करती है:

भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर कुल बकाया देयताएँ, जिनमें वर्तमान विनिमय दर पर मूल्यांकित बाह्य ऋण भी शामिल है।

\+

भारत के लोक लेखा[11] में कुल बकाया देयताएँ।

\+

केंद्र सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन किसी निकाय निगम या अन्य संस्था की वित्तीय देयताएँ, जिनका पुनर्भुगतान अथवा ऋण-सेवा वार्षिक वित्तीय विवरण से सरकार द्वारा किया जाना है।

−

उस तिथि के अंत में नकद शेष।

इसी प्रकार, धारा 2(बीबी) में सामान्य सरकारी ऋण को "अंतर-सरकारी देयताओं को छोड़कर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के ऋणों के कुल योग" के रूप में परिभाषित किया गया है। एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 तक केंद्र सरकार के ऋण को जीडीपी के 40 *प्रतिशत* तथा सामान्य सरकारी ऋण[12] को जीडीपी के 60 *प्रतिशत* तक सीमित रखा जाना है।

तथापि, उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक वार्षिक कमी के लक्ष्य न तो एफआरबीएम नियमों के अंतर्गत निर्धारित किए गए थे और न ही उनकी समयबद्ध

---

[11] लोक लेखा में भारत की संचित निधि में जमा की गई राशियों के अतिरिक्त वह समस्त लोक निधि सम्मिलित होती है, जो भारत सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से ट्रस्टी के रूप में प्राप्त किया जाता है।

[12] वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सरकारी ऋण पर स्थिति-पत्र 22 जुलाई 2025 को प्रकाशित किया गया था। तथापि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सरकारी ऋण पर स्थिति-पत्र (जून 2026 तक) अभी प्रकाशित किया जाना शेष है, जिसमें सामान्य सरकारी ऋण के आंकड़े सम्मिलित होते हैं।

प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा जारी किसी नीतिगत दस्तावेज में विनिर्दिष्ट किए गए थे।

### 2.1.1 केंद्र सरकार का बकाया ऋण

**(क)** वित्तीय वर्ष 2022-23 से केंद्र सरकार का ऋण, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, निरंतर घटा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीन-वर्षीय अवधि के लिए किए गए विश्लेषण **(अनुलग्नक 2.1)** से पता चला कि जीडीपी के प्रतिशत[13] के रूप में केंद्र सरकार का ऋण वित्तीय वर्ष 2022-23 में 59.78 *प्रतिशत* था और उसके बाद इसमें लगातार कमी आती रही तथा मार्च 2025 तक यह घटकर जीडीपी के 58.46 प्रतिशत पर पहुँच गया। निरपेक्ष रूप में, वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार का ऋण वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में ₹14.24 लाख करोड़ अथवा 8.29 *प्रतिशत* बढ़ गया। इसका प्रमुख कारण इस अवधि के दौरान आंतरिक ऋण में ₹12.28 लाख करोड़ की वृद्धि होना था।

एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 तक केंद्र सरकार के ऋण को जीडीपी के 40 *प्रतिशत* तक सीमित रखने का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार का ऋण जीडीपी का 58.46 *प्रतिशत* था। सरकार ने एमटीएफपी 2024-25 में एफआरबीएम अधिनियम, 2003 में उल्लिखित राजकोषीय लक्ष्यों से विचलन के कारणों का उल्लेख करते हुए कहा कि ऋण-से-जीडीपी अनुपात के लक्षित स्तर को प्राप्त करने का मार्ग कोविड-पूर्व अवधि के दौरान अपनाया जा रहा था। तथापि, कोविड-19 महामारी तथा वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों सहित अन्य कारणों ने विश्व में अभूतपूर्व आर्थिक और राजकोषीय संकट उत्पन्न कर दिया। यह भी कहा गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट अपेक्षाकृत अनिश्चित वैश्विक अर्थव्यवस्था के समय (जुलाई 2024) प्रस्तुत किया गया था। यह भी कहा गया कि निरंतर वैश्विक अनिश्चितता तथा संघर्ष के संभावित नए क्षेत्रों के खुले रहने की स्थिति में विवेकपूर्ण दृष्टिकोण यह अपेक्षा करता है कि सरकार संभावित अप्रत्याशित चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने हेतु राजकोषीय लचीलापन बनाए रखे। आगे यह भी

[13] सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) किसी देश की सीमाओं के भीतर किसी निर्धारित अवधि (जैसे एक तिमाही अथवा एक वर्ष) में उत्पादित उन सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है, जिन्हें अंतिम उपभोक्ता द्वारा क्रय किया जाता है। मूलतः यह अर्थव्यवस्था के आकार को दर्शाता है तथा ऋण वहनीयता के मापन हेतु उपयुक्त आधार के रूप में प्रयुक्त होता है।

कहा गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में की गई प्रतिबद्धता के अनुरूप, सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 *प्रतिशत* से कम स्तर पर लाने तथा इसके परिणामस्वरूप ऋण-से-जीडीपी अनुपात के समेकन को प्राप्त करने के लिए राजकोषीय समेकन के व्यापक मार्ग का अनुसरण करेगी।

वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार के ऋण की राशि तथा उसके घटक-वार विवरण को नीचे **चित्र 2.1** में दर्शाया गया है :

**चित्र 2.1: केंद्र सरकार के ऋण के घटक**

*(₹ लाख करोड़ में)*

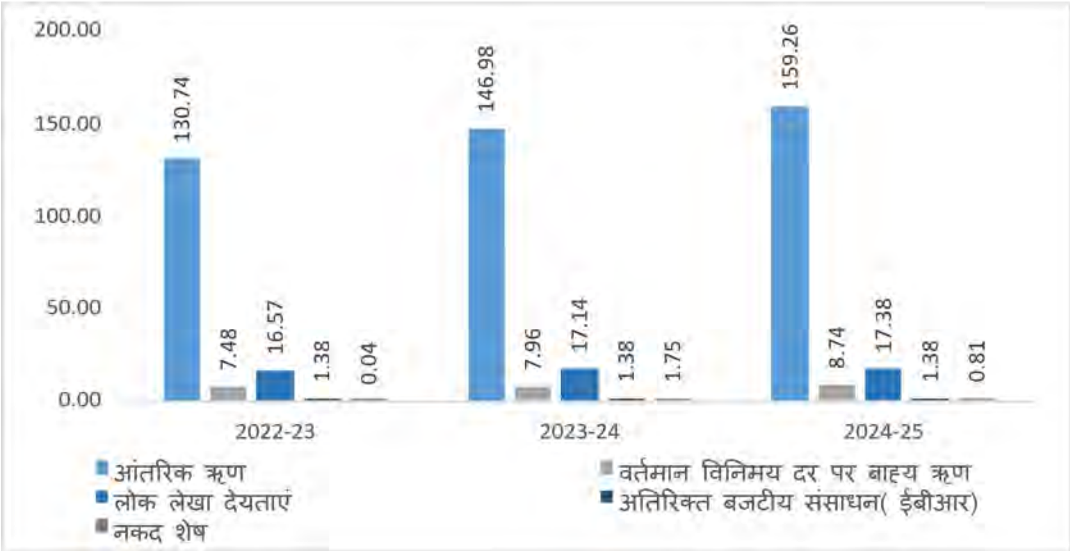


**(ख)** वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 में नॉमिनल जीडीपी की वृद्धि दर ऋण की वृद्धि दर से अधिक रही। नीचे **चित्र 2.2** में वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान केंद्र सरकार के ऋण तथा सकल घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार के ऋण के संचय की गति, जीडीपी के विस्तार की तुलना में कम रही, जो यह इंगित करती है कि अर्थव्यवस्था इतनी विकसित हुई है कि वह संचित ऋण को वहन करने तथा उसकी ऋण-सेवा करने में सक्षम है।

**चित्र 2.2: जीडीपी और केंद्र सरकार के ऋण की प्रवृत्तियाँ**

*(₹ लाख करोड़ में)*

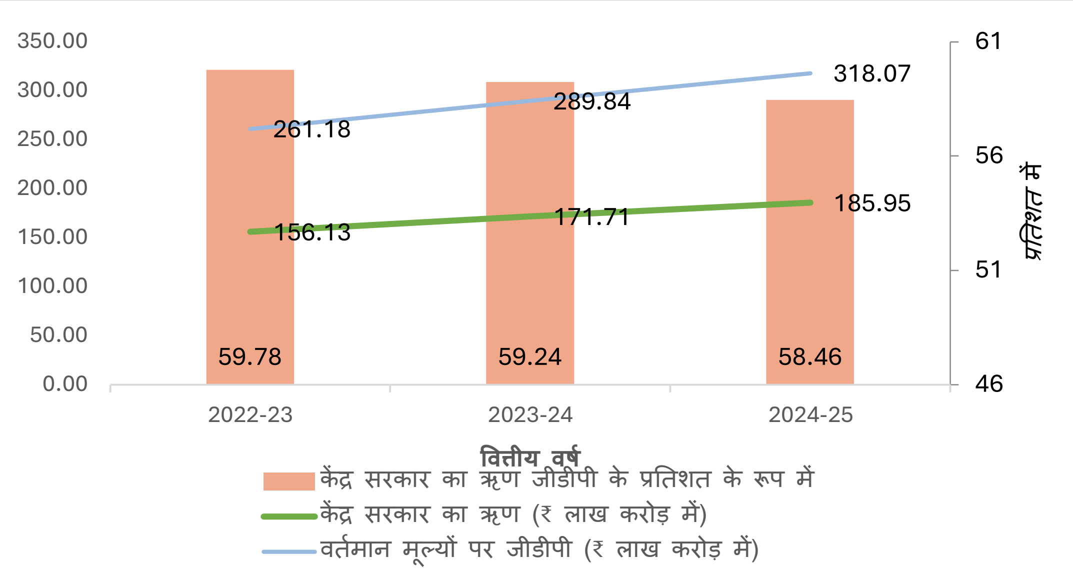


**(ग)** प्राप्ति बजट में केंद्र सरकार की देयताओं का प्रकटीकरण, एफआरबीएम अधिनियम में केंद्र सरकार के ऋण की परिभाषा के अनुरूप नहीं है। प्राप्ति बजट 2026-27 में वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में केंद्र सरकार की कुल देयताएँ ₹182.96 लाख करोड़ दर्शाई गई हैं। एफआरबीएम अधिनियम, 2003 में दी गई परिभाषा के आधार पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार के ऋण की हमारी गणना ₹185.95 लाख करोड़ थी, जो जीडीपी का 58.46 *प्रतिशत* है। इस अंतर का मिलान नीचे **तालिका 2.3** में दर्शाया गया है :

**तालिका 2.3: प्राप्ति बजट 2026-27 तथा लेखापरीक्षा द्वारा की गई गणना में वर्ष 2024-25 के अंत में केंद्र सरकार की देयताओं का प्रकटीकरण**

*(₹ लाख करोड़ में)*

| क्रम संख्या | विवरण | प्राप्ति बजट 2026-27 के अनुसार | एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार लेखापरीक्षा में की गई गणना |
|---|---|---|---|
| 1 | आंतरिक ऋण | 159.26 | 159.26 |
| 2 | बाह्य ऋण | 6.32 (बुक वैल्यू पर) | 8.74 (वर्तमान विनिमय दर पर) |
| 3 | अन्य देयताएं / लोक लेखा देयताएं | 17.38 | 17.38 |
| 4 | ईबीआर | शामिल नहीं | 1.38 |
| 5 | नकद शेष (-) | शामिल नहीं | 0.81 |
| 6 | केंद्र सरकार का ऋण | 182.96 | 185.95 |

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून 2026) कि एफआरबीएम दस्तावेज़ में एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक आंकड़े शामिल हैं।

यद्यपि एफआरबीएम अधिनियम में यथापरिभाषित केंद्र सरकार के ऋण को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 'बजट एक नजर में' (फरवरी 2026) के 'ऋण में प्रवृत्ति (जीडीपी का %)' में दिखाया गया है, तथापि ऋण के घटकों और इस प्रतिशत की गणना के लिए उपयोग किए गए जीडीपी के आंकड़ों का उसमें प्रकटीकरण नहीं किया गया है। इसके अलावा, एफआरबीएम अधिनियम में यथापरिभाषित वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक केंद्र सरकार के ऋण के आंकड़ों का उल्लेख अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य किसी भी विवरण/प्रकटीकरण में नहीं किया गया है।

## 2.2 ऋण स्थिरता विश्लेषण

ऋण स्थिरता विश्लेषण (डीएसए) एक ऐसा मापदंड है जिसका उपयोग किसी अवधि के दौरान सरकार की अपने ऋण-संबंधी वित्तीय दायित्वों के निर्वहन करने की क्षमता का आकलन करने के लिए किया जाता है। इस विश्लेषण का आधारभूत तत्व ऋण-से-जीडीपी अनुपात है। इसका मूल आधार यह है कि ऋण में वृद्धि अर्थव्यवस्था की वृद्धि (जिसे सकल घरेलू उत्पाद - जीडीपी के रूप में मापा जाता है) के अनुरूप होनी चाहिए। एक स्थिर राजकोषीय नीति वह होती है जिसमें ऋण-से-जीडीपी अनुपात दीर्घावधि में स्थिर रहता है अथवा उसमें कमी आती है।

ऋण स्थिरीकरण संकेतक एक उपयोगी संकेतक है। यह इस धारणा पर आधारित है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, ब्याज दर अथवा सार्वजनिक उधारों की लागत से अधिक हो, तो प्राथमिक घाटे पर नियंत्रण रखे जाने की स्थिति में ऋण-जीडीपी अनुपात के स्थिर रहने की संभावना होती है।

- ❖ ऋण स्थिरीकरण संकेतक = क्वांटम स्प्रेड[14] + प्राथमिक घाटा[15]
- ❖ ऋण स्थिरता की शर्त के अनुसार यदि:
    - ✓ ऋण स्थिरीकरण संकेतक = 0 हो, तो ऋण-जीडीपी अनुपात स्थिर रहेगा, अथवा ऋण अंततः स्थिर हो जाएगा।
    - ✓ ऋण स्थिरीकरण संकेतक ऋणात्मक हो, तो ऋण-जीडीपी अनुपात में वृद्धि होगी।
    - ✓ ऋण स्थिरीकरण संकेतक धनात्मक हो, तो ऋण-जीडीपी अनुपात में अंततः कमी आएगी।

[14] क्वांटम स्प्रेड = केन्द्र सरकार का ऋण (ब्याज युक्त) × ब्याज स्प्रेड/100

[15] प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ऋण स्थिरीकरण संकेतक धनात्मक है। **(तालिका 2.4)**

**तालिका 2.4: केंद्र सरकार के ऋण स्थिरता संकेतकों की प्रवृत्ति**

*(₹ लाख करोड़ में)*

| क्र. सं. | विवरण | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|
| 1 (i) | केंद्र सरकार का ऋण | 156.13 | 171.71 | 185.95 |
| (ii) | केंद्र सरकार का ऋण (केवल ब्याज युक्त) | 153.38 | 168.31 | 181.03 |
| 2 | केंद्र सरकार के ऋण की वृद्धि दर (*प्रतिशत में)* | 12.61 | 9.98 | 8.29 |
| 3 | वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी | 261.18 | 289.84 | 318.07 |
| 4 | वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (*प्रतिशत में)* | - | 10.97 | 9.74 |
| 5 | केंद्र सरकार ऋण-जीडीपी अनुपात (*प्रतिशत* में) | 59.78 | 59.24 | 58.46 |
| 6 | ऋण पर भुगतान किया गया ब्याज | 9.59 | 11.03 | 11.64 |
| 7 | कुल राजस्व प्राप्तियाँ | 27.13 | 30.88 | 34.22 |
| 8 | औसत ब्याज लागत[16] (*प्रतिशत* में) | 6.61 | 6.86 | 6.66 |
| 9 | राजस्व प्राप्ति के लिए ऋण पर ब्याज भुगतान (*प्रतिशत* में) | 35.35 | 35.72 | 34.02 |
| 10 | लोक ऋण पुनर्भुगतान | 72.00 | 74.62 | 85.01 |
| 11 | लोक ऋण प्राप्तियां | 88.65 | 91.60 | 97.92 |
| 12 | लोक ऋण प्राप्तियों के सापेक्ष लोक ऋण पुनर्भुगतान (*प्रतिशत* में) | 81.22 | 81.46 | 86.82 |
| 13 | लोक लेखा देयता से संबंधित संवितरण[17] | 24.92 | 33.43 | 37.85 |
| 14 | लोक लेखा देयता से संबंधित प्राप्तियां | 25.05 | 34.10 | 38.12 |
| 15 | लोक लेखा देयता से संबंधित प्राप्तियों की तुलना में संवितरण (*प्रतिशत* में) | 99.48 | 98.04 | 99.29 |
| 16 | केंद्र सरकार के ऋण से संबंधित संवितरण[18] *(10+13)* | 96.92 | 108.05 | 122.86 |
| 17 | केंद्र सरकार के ऋण से संबंधित प्राप्तियां *(11+14)* | 113.70 | 125.70 | 136.04 |
| 18 | केंद्र सरकार के ऋण से संबंधित प्राप्तियों की तुलना में संवितरण *(प्रतिशत में)* | 85.24 | 85.96 | 90.31 |
| 19 | ब्याज स्प्रेड [19] (*प्रतिशत में)* | - | 4.11 | 3.08 |
| 20 | क्वांटम स्प्रेड | - | 6.92 | 5.58 |
| 21 | प्राथमिक घाटा (-) | 7.97 | 4.99 | 3.06 |
| 22 | ऋण स्थिरीकरण संकेतक[20] | - | 1.93 | 2.52 |

*स्रोत : संबंधित वर्षों के यूजीएफए। जीडीपी के लिए - एनएसओ की 05 जून 2026 की प्रेस विज्ञप्ति।*

---

[16] औसत ब्याज लागत = ब्याज भुगतान / पिछले वित्तीय वर्ष और वर्तमान वर्ष के ब्याज युक्त बकाया ऋण का औसत x100

[17] संवितरण के परिणामस्वरूप लोक लेखा देयता में कमी आती है।

[18] वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ईबीआर से संबंधित कोई संवितरण या प्राप्तियां नहीं थीं।

[19] ब्याज स्प्रेड = जीडीपी (वर्तमान मूल्यों पर) की वृद्धि दर - औसत ब्याज लागत

[20] ऋण स्थिरीकरण संकेतक = क्वांटम स्प्रेड + प्राथमिक घाटा

**तालिका 2.4** के आगे के विश्लेषण से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं:

- **लोक ऋण प्राप्तियों की तुलना में लोक ऋण पुनर्भुगतान का अनुपात** वित्तीय वर्ष 2022-23 के 81.22 *प्रतिशत* से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 86.82 *प्रतिशत* हो गया है। लोक लेखा देयताओं के लिए यह अनुपात वित्तीय वर्ष 2024-25 में 99.29 *प्रतिशत* था। लोक ऋण और लोक लेखा देयताओ[17] के संवितरण और प्राप्तियों को जोड़ने पर, केंद्र सरकार के ऋण से संबंधित प्राप्तियों की तुलना में संवितरण का अनुपात वित्तीय वर्ष 2022-23 के 85.24 *प्रतिशत* से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 90.31 *प्रतिशत* हो गया है। यहाँ यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इन संवितरणों और प्राप्तियों में ट्रेजरी बिलों[21] के आंकड़े भी शामिल हैं, जो संघ सरकार के अल्पकालिक नकदी प्रवाह के बेमेल को प्रबंधित करने वाले ऋण साधन हैं।

- **राजस्व प्राप्ति अनुपात में ऋण पर ब्याज भुगतान** सरकार की राजकोषीय स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह इस बात का माप है कि सरकार के राजस्व का कितना भाग उसके ऋण पर ब्याज के भुगतान में व्यय होता है। जैसा कि **तालिका 2.4** से देखा जा सकता है, यह अनुपात वित्तीय वर्ष 2022-23 में 35.35 *प्रतिशत* था। इसके बाद यह बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 35.72 *प्रतिशत* हो गया, किंतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में घटकर 34.02 *प्रतिशत* रह गया। इस प्रकार, पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार की राजस्व प्राप्तियों का अपेक्षाकृत कम भाग ब्याज संबंधी दायित्वों के निर्वहन पर व्यय हुआ।

## 2.3 गारंटी

सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), 2017 के नियम 276 के अनुसार, केंद्र सरकार सरकारी संस्थाओं को मुख्यतः सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं अथवा गतिविधियों के लिए उनकी उधारी लागत को कम करने हेतु गारंटियाँ प्रदान करती है। संप्रभु गारंटी तब भी दी जाती है जब यह द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहायता के लिए एक पूर्व शर्त होती है। गारंटियाँ आकस्मिक देयताएँ होने के कारण ऋण का हिस्सा नहीं होती हैं, किंतु चूक की स्थिति में इनका प्रभाव सरकार की देयताओं पर पड़ सकता है।

[21] 14, 91, 182 तथा 364 दिनों की ट्रेजरी बिलों से ₹72.79 लाख करोड़ की प्राप्तियाँ हुईं, जो केंद्र सरकार के ऋण से संबंधित कुल प्राप्तियों का 53.51 प्रतिशत थीं, तथा ₹74.39 लाख करोड़ के संवितरण हुए, जो केंद्र सरकार के ऋण से संबंधित कुल संवितरणों का 60.55 प्रतिशत थे।

एफआरबीएम अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार किसी भी वित्तीय वर्ष में भारत की संचित निधि (सीएफआई) की प्रतिभूति पर किसी ऋण के संबंध में जीडीपी के आधा *प्रतिशत* से अधिक की अतिरिक्त गारंटी प्रदान नहीं करेगी।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अतिरिक्त गारंटियाँ एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित सीमा के भीतर रहीं। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान दी गई अतिरिक्त गारंटियाँ भी निर्धारित सीमा के भीतर रहीं, जैसा कि **अनुलग्नक 2.2** में विस्तृत किया गया है।

## 2.4 वृहद आर्थिक मापदंडों में प्रवृत्तियां

- ❖ राजकोषीय घाटा किसी वित्तीय वर्ष के दौरान भारत की संचित निधि से कुल संवितरणों की राशि के, ऋण प्राप्तियों और ऋण पुनर्भुगतानों को छोड़कर, उस निधि में कुल प्राप्तियों से अधिक होने को दर्शाता है।
- ❖ राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता है।
- ❖ प्राथमिक घाटा से आशय राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतानों को घटाने के बाद प्राप्त राशि से है।

### क (i). राजकोषीय संकेतक - रोलिंग लक्ष्य

### एमटीएफपी विवरणों में तीन-वर्षीय रोलिंग लक्ष्यों के लिए राजकोषीय अनुमान शामिल न किया जाना

एफआरबीएम अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार, "मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति विवरण में अंतर्निहित मान्यताओं के विवरण के साथ निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के लिए तीन-वर्षीय रोलिंग लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे।"

वित्तीय वर्ष 2021-22 से शुरू करते हुए, तीन वर्ष (वर्ष वाई+1 और वाई+2 के लिए) के रोलिंग लक्ष्यों के लिए राजकोषीय अनुमानों को एमटीएफपी विवरणों में शामिल नहीं

किया गया था। इसके बजाय, संबंधित वर्षों के एमटीएफपी विवरण में धारा 4 में उल्लिखित राजकोषीय लक्ष्यों से विचलन के कारणों को स्पष्ट करने वाला और राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7(3)(बी) के तहत सौंपे गए दायित्वों के अनुपालन में एक विवरण शामिल किया गया था।

### क (ii). राजकोषीय संकेतकों के अनुमान की तुलना में वास्तविक

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय संकेतकों से संबंधित अनुमानों तथा उनकी वास्तविक उपलब्धियों को नीचे **तालिका 2.5** में दर्शाया गया है।

**तालिका 2.5: अनुमान की तुलना में वास्तविक**

*(जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)*

| पूर्वानुमान के प्रकार राजकोषीय संकेतक | एमटीएफपी 2024-25 | एमटीएफपी 2025-26 | यूजीएफए 2024-25 |
|---|---|---|---|
| | 2024-25 के लिए बजट अनुमान | 2024-25 के लिए संशोधित अनुमान | 2024-25 के लिए वास्तविक |
| राजकोषीय घाटा | 4.9 | 4.8 | 4.62 |
| राजस्व घाटा | 1.8 | 1.9 | 1.78 |
| प्राथमिक घाटा | 1.4 | 1.3 | 0.96 |
| सकल कर राजस्व | 11.8 | 11.9 | 11.93 |
| गैर-कर राजस्व | 1.7 | 1.6 | 2.87 |
| केंद्र सरकार का ऋण | 56.8 | 57.1 | 58.46 |

*स्रोत : वास्तविक 2024-25 के लिए जीडीपी के आंकड़े, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की दिनांक 05 जून 2026 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार।*

**तालिका 2.5** से पता चलता है कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, सकल कर राजस्व तथा गैर-कर राजस्व की वास्तविक प्राप्तियाँ बजट अनुमान (बीई) से अधिक थीं। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा तथा प्राथमिक घाटा के वास्तविक आंकड़े उनके संबंधित बीई तथा संशोधित अनुमान (आरई) से कम रहे। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार का ऋण, बीई स्तर पर किए गए अनुमान से अधिक था।

### ख. सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)

वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण 2024-25 (जुलाई 2024) में उल्लेख किया गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.2 *प्रतिशत* रहने का अनुमान व्यक्त किया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मध्यम-अवधि राजकोषीय नीति विवरण (एमटीएफपी) (जुलाई 2024) के 'वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय परिप्रेक्ष्य' भाग में उल्लेख किया गया था कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में नॉमिनल जीडीपी (वर्तमान मूल्यों पर) के वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनंतिम अनुमानों की तुलना में 10.5 *प्रतिशत* की वृद्धि से बढ़ने का अनुमान है।

वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण 2025-26 (फरवरी 2025) में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक तथा नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर क्रमशः 6.4 *प्रतिशत* और 9.7 *प्रतिशत* आंकी गई थी।

**तालिका 2.6: जीडीपी की प्रवृत्ति**

*(₹ लाख करोड़ में)*

| जीडीपी | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|
| स्थिर मूल्यों पर (वास्तविक जीडीपी) (आधार वर्ष 2011-12) | 161.65* (7.61) | 176.51# (9.19) | 187.97@ (6.49) |
| स्थिर मूल्यों पर (वास्तविक जीडीपी) (आधार वर्ष 2022-23) | 261.18 | 280.01 (7.21) | 299.89# (7.10) |
| वर्तमान मूल्यों पर (नॉमिनल जीडीपी) (आधार वर्ष 2011-12) | 268.90* (13.96) | 301.23# (12.02) | 330.68@ (9.78) |
| वर्तमान मूल्यों पर (नॉमिनल जीडीपी) (आधार वर्ष 2022-23) | 261.18 | 289.84 (10.97) | 318.07# (9.74) |

**अंतिम अनुमान #प्रथम संशोधित अनुमान @अनंतिम अनुमान।*
*पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन को जीडीपी के आंकड़ों के नीचे कोष्ठकों में दर्शाया गया है।*
*स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की दिनांक 28 फरवरी 2026, 07 जनवरी 2026 और 05 जून 2026 की प्रेस विज्ञप्तियाँ।*

बजट 2025-26 (फरवरी 2025) में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी का अनुमान ₹324.11 लाख करोड़[22] प्रक्षेपित किया गया था। तथापि, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनंतिम अनुमान के अनुसार जीडीपी ₹330.68 लाख करोड़[22] (एनएसओ की 07 जनवरी 2026 की प्रेस विज्ञप्ति) रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.78 *प्रतिशत* की वृद्धि को दर्शाती है।

[22] आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर।

**ग. राजस्व प्राप्तियां**

**चित्र 2.7: राजस्व प्राप्तियों के लिए वास्तविक प्राप्तियों का अनुमानों की तुलना में विश्लेषण**

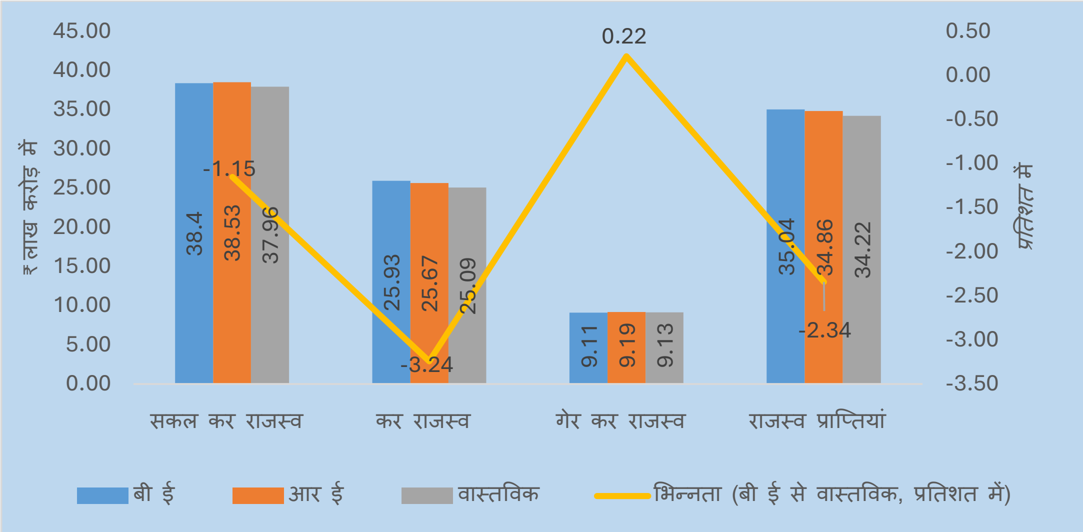


*स्रोत : बीई तथा आरई के लिए - वार्षिक वित्तीय विवरण 2025-26 तथा वास्तविक आंकड़ों के लिए - यूजीएफए 2024-25।*

वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल कर राजस्व बजट अनुमान (बीई) से कम रहा, जबकि गैर-कर राजस्व बीई से अधिक रहा। सकल कर राजस्व संग्रह ₹37.96 लाख करोड़ रहा, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में अनुमानित राशि की तुलना में 1.15 *प्रतिशत* कम था। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹34.22 लाख करोड़ रहीं, जबकि बजट में ₹35.04 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया था। बीई की तुलना में वास्तविक आंकड़ों में यह मध्यम कमी संपत्ति, पूंजीगत तथा अन्य लेन-देन पर करों को छोड़कर सकल कर राजस्व के सभी घटकों में दर्ज की गई, जो बीई की तुलना में 43.24 *प्रतिशत* अधिक रहा, जिसमें प्रमुख योगदान प्रतिभूति लेन-देन कर का था। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए गैर-कर राजस्व[23] ₹9.13 लाख करोड़ रहा, जो बीई की तुलना में 0.22 *प्रतिशत* अधिक था **(अनुलग्नक 2.3)**।

[23] गैर-कर राजस्व में वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹687 करोड़ के सहायता अनुदान और अंशदान शामिल हैं

**घ. राजस्व व्यय**

**चित्र 2.8: राजस्व व्यय के लिए वास्तविक आंकड़ों का अनुमानों की तुलना में विश्लेषण**

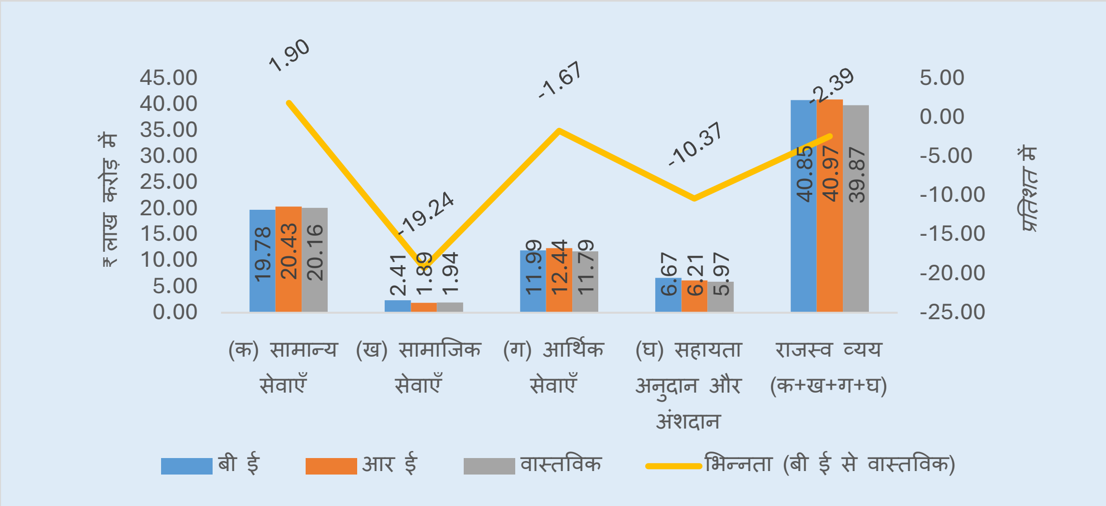


*स्रोत : बीई तथा आरई के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण (एएफएस) 2025-26 तथा वास्तविक आंकड़ों के लिए यूजीएफए 2024-25*

वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व व्यय ₹39.87 लाख करोड़ रहा, जो बजट अनुमान से 2.39 *प्रतिशत* कम था **(चित्र 2.8)**। **सामान्य सेवाओं** (₹20.16 लाख करोड़) पर राजस्व व्यय कुल राजस्व व्यय का 50.56 *प्रतिशत* था तथा यह बीई की तुलना में 1.90 *प्रतिशत* अधिक था। सामान्य सेवाओं के अंतर्गत, वास्तविक व्यय में बीई की तुलना में प्रमुख वृद्धि रक्षा सेवाओं में (बीई से 3.94 *प्रतिशत* अधिक) तथा पेंशन और विविध सामान्य सेवाओं में (बीई से 15.84 *प्रतिशत* अधिक) देखी गई। **सामाजिक सेवाओं** (₹1.94 लाख करोड़) पर राजस्व व्यय बीई की तुलना में (19.24 *प्रतिशत*) कम था, जिसका कारण जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास[24] पर व्यय (बीई से 56.25 *प्रतिशत* कम) तथा श्रम एवं श्रमिक कल्याण पर व्यय (बीई से 40.94 *प्रतिशत* कम) में कमी होना था। इसके अतिरिक्त, **आर्थिक सेवाओं** (₹11.79 लाख करोड़) पर राजस्व व्यय के वास्तविक आंकड़े बीई की तुलना में 1.67 *प्रतिशत* कम रहे। बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों के बीच विस्तृत अंतर **अनुलग्नक 2.4** में दिया गया है।

[24] मुख्यतः जलापूर्ति एवं स्वच्छता द्वारा योगदान (बीई की तुलना में 62.70 *प्रतिशत* कम)।

**ङ. प्रमुख विकासात्मक क्षेत्रों पर व्यय : एमटीएफपी 2024-25 में निर्धारित प्राथमिकताएँ**

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एमटीएफपी विवरण में कहा था कि उसकी राजकोषीय कार्यनीति के व्यापक लक्ष्यों में प्रमुख विकासात्मक क्षेत्रों तथा सामाजिक सुरक्षा पर व्यय को प्राथमिकता देना शामिल है, अर्थात कृषि एवं किसान कल्याण, रोजगार सृजन, कौशल विकास, ग्रामीण एवं शहरी आवास, पेयजल एवं स्वच्छता, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण विकास आदि, ताकि नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके। हमने वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान उन विभागों के व्यय का विश्लेषण किया जिनका प्रत्यक्ष संबंध उक्त प्रमुख विकासात्मक क्षेत्रों से है जिसका विवरण नीचे **तालिका 2.9** में दिया गया है।

**तालिका 2.9: प्रमुख विकासात्मक क्षेत्रों पर व्यय: प्राथमिकता क्षेत्र**

*(₹ करोड़ में)*

| प्रमुख विकासात्मक क्षेत्र के संबंधित विभाग | | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|
| i. कृषि और किसान कल्याण विभाग<br>ii. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग | राजस्व | 1,10,142.59 | 2,13,050.75 | 2,42,108.43 |
| | पूंजीगत | 8.10 | 43.97 | 78.34 |
| | कुल | 1,10,150.69 | 2,13,094.72 | 2,42,186.77 |
| पेयजल एवं स्वच्छता विभाग | राजस्व | 59,790.44 | 76,824.18 | 26,257.16 |
| | पूंजीगत | 0 | 2.57 | 1.50 |
| | कुल | 59,790.44 | 76,826.75 | 26,258.66 |
| i. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग<br>ii. उच्चतर शिक्षा विभाग | राजस्व | 1,50,132.08 | 1,65,258.81 | 1,79,735.28 |
| | पूंजीगत | 2.94 | 7.77 | 5.09 |
| | कुल | 1,50,135.02 | 1,65,266.58 | 1,79,740.37 |
| i. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग<br>ii. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग | राजस्व | 98,366.99 | 96,391.93 | 1,07,107.46 |
| | पूंजीगत | 3,050.82 | 2,026.56 | 2,399.31 |
| | कुल | 1,01,417.81 | 98,418.49 | 1,09,506.77 |
| ग्रामीण विकास विभाग | राजस्व | 3,31,820.80 | 2,65,374.35 | 2,70,044.85 |
| | पूंजीगत | 0 | 2.16 | 3.98 |
| | कुल | 3,31,820.80 | 2,65,376.51 | 2,70,048.83 |
| कुल | राजस्व | **7,50,252.90** | **8,16,900.02** | **8,25,253.18** |
| | पूंजीगत | **3,061.86** | **2,083.03** | **2,488.22** |
| | कुल | **7,53,314.76** | **8,18,983.05** | **8,27,741.40** |

*स्रोत : वित्तीय वर्ष 2024-25, वित्तीय वर्ष 2025-26 तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुदानों की मांगों का सारांश।*

*विश्लेषण के लिए लक्षित क्षेत्रगत व्यय के रूप में, अनुदानों की मांगों के सारांश में दर्शाए गए संबंधित विभागों के व्यय का उपयोग किया गया।*

हमने पाया कि उपर्युक्त सूचीबद्ध प्रमुख विकासात्मक क्षेत्रों पर कुल व्यय में पिछले तीन वर्षों के दौरान निरंतर वृद्धि हुई, यद्यपि इन क्षेत्रों पर कुल पूंजीगत व्यय सीमित दायरे में रहा तथा उसमें उतार-चढ़ाव देखा गया। क्षेत्र-वार व्यय से यह स्पष्ट हुआ कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कृषि तथा शिक्षा के क्षेत्रों में व्यय में निरंतर वृद्धि हुई। जबकि पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र में व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़ा, किंतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में उसमें कमी आई। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य तथा ग्रामीण विकास क्षेत्रों में मिश्रित प्रवृत्ति देखी गई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 में कमी के बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 में पुनः वृद्धि दर्ज की गई।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में कृषि क्षेत्र में वास्तविक व्यय, बजट अनुमान की तुलना में 2.09 *प्रतिशत* अधिक था। तथापि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं स्वच्छता तथा ग्रामीण विकास क्षेत्रों में वास्तविक व्यय क्रमशः 5.99 *प्रतिशत*, 2.97 *प्रतिशत*, 66.07 *प्रतिशत* तथा 4.43 *प्रतिशत* बीई से कम रहा। इस संबंध में विस्तृत विवरण **अनुलग्नक 2.5** में संलग्न है।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून 2026) कि प्रमुख विकास क्षेत्रों में पूंजी निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता प्रत्यक्ष पूंजीगत व्यय से आगे तक विस्तृत है, जिसमें सहायता अनुदान (जीआईए) के माध्यम से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए महत्वपूर्ण सहायता शामिल है, जो राज्य स्तर पर आवश्यक अवसंरचना के विकास को सुगम बनाती है।

**च. पूंजीगत प्राप्तियाँ**

पूंजीगत प्राप्तियों में ऋण प्राप्तियाँ तथा गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ शामिल होती हैं।

ऋण प्राप्तियों के दो घटक है: आंतरिक ऋण तथा बाह्य ऋण। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ऋण प्राप्तियों का अनुमान ₹94,12,883 करोड़ था। वास्तविक ऋण प्राप्तियाँ (₹97,91,620 करोड़) बजट अनुमान की तुलना में 4.02 *प्रतिशत* अधिक थी।

गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों (एनडीसीआर) के दो प्रमुख घटक हैं, अर्थात ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली तथा अन्य प्राप्तियाँ (जिनमें मुख्यतः विनिवेश प्राप्तियाँ शामिल हैं, जो सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परिसंपत्तियों तथा कार्यनीतिक परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त होती हैं)। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए

एमटीएफपी में कहा था कि एनडीसीआर का अनुमान ₹78,000 करोड़ लगाया गया है, जिसमें ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली के अंतर्गत ₹28,000 करोड़ तथा अन्य विविध पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत ₹50,000 करोड़ को बीई स्तर पर शामिल किया गया था। इसमें यह भी कहा गया था कि अन्य विविध पूंजीगत प्राप्तियों की प्राप्ति प्रचलित बाजार परिस्थितियों पर निर्भर करती है। आरई स्तर पर एनडीसीआर के अनुमान को संशोधित कर ₹59,000 करोड़ कर दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों का विवरण नीचे **तालिका 2.10** में दिया गया है।

**तालिका 2.10: पूंजीगत प्राप्तियों की प्रवृत्ति**

*(₹ करोड़ में)*

| वित्तीय वर्ष | ऋण प्राप्तियां (क) | गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां | | | पूंजीगत प्राप्ति (क + ख) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | विविध पूंजीगत प्राप्तियां (ख1) | ऋण और अग्रिम (ख2) | कुल गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (ख = ख1+ख2) | |
| **2020-21** | 81,62,910 | 37,897 | 29,923 | 67,820 | 82,30,730 |
| **2021-22** | 82,49,152 | 14,638 | 24,948 | 39,586 | 82,88,738 |
| **2022-23** | 88,64,893 | 46,035 | 36,273 | 82,308 | 89,47,201 |
| **2023-24** | 91,60,050 | 45,281 | 1,16,974# | 1,62,255 | 93,22,305 |
| **2024-25** | 97,91,620 | 20,214 | 1,72,778# | 1,92,992 | 99,84,612 |

*स्रोत : संबंधित वर्षों के यूजीएफए।*

#ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले राज्यों/विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए बैक-टू-बैक ऋणों के पुनर्भुगतान के संबंध में क्रमशः वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹78,104 करोड़ और ₹1,23,604 करोड़ की राशि भी शामिल है (सीएजी की वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या 16 तथा वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या 6 के पैरा 2.6.1 का संदर्भ लें)।

ऋणों एवं अग्रिमों की वास्तविक वसूली ₹1.73 लाख करोड़ रही, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान से अधिक थी।

विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ ₹45,281 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2023-24) से घटकर ₹20,214 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2024-25) रह गईं। यह कमी मुख्यतः बोनस शेयरों के मूल्य से प्राप्तियों (₹12,159 करोड़ से ₹3,012 करोड़), राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रीकरण से प्राप्तियों (₹15,968 करोड़ से ₹6,661 करोड़) तथा सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्तियों (₹13,582 करोड़ से ₹7,760 करोड़) में उल्लेखनीय कमी के कारण हुई।

**छ. राजस्व एवं पूंजीगत व्यय**

**तालिका 2.11: राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का प्रवृत्ति विश्लेषण**

*(₹ लाख करोड़ में)*

| वित्तीय वर्ष | राजस्व व्यय | पूंजीगत व्यय | वितरित ऋण और अग्रिम | कुल व्यय |
|---|---|---|---|---|
| **2020-21** | 33.15 | 3.43 | 2.50 | 39.08 |
| | 84.83 *प्रतिशत* | 8.78 *प्रतिशत* | 6.39 *प्रतिशत* | |
| **2021-22** | 34.68 | 5.38 | 2.32 | 42.39 |
| | 81.83 *प्रतिशत* | 12.69 *प्रतिशत* | 5.48 *प्रतिशत* | |
| **2022-23** | 37.84 | 6.25 | 1.42 | 45.51 |
| | 83.15 *प्रतिशत* | 13.73 *प्रतिशत* | 3.12 *प्रतिशत* | |
| **2023-24** | 38.54 | 8.07 | 1.91 | 48.52 |
| | 79.43 *प्रतिशत* | 16.63 *प्रतिशत* | 3.94 *प्रतिशत* | |
| **2024-25** | 39.87 | 8.58 | 2.40 | 50.85 |
| | 78.41 *प्रतिशत* | 16.87 *प्रतिशत* | 4.72 *प्रतिशत* | |

*स्रोत : संबंधित वर्षों के यूजीएफए। प्रतिशत में दर्शाए गए आंकड़े उस वर्ष के कुल व्यय के अनुपात के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं।*

वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार के कुल व्यय में निरपेक्ष रूप से ₹2.33 लाख करोड़ की वृद्धि हुई, जिसका प्रमुख कारण राजस्व व्यय में वृद्धि (₹1.33 लाख करोड़), के साथ - साथ पूंजीगत व्यय पर ₹0.51 लाख करोड़ तथा ऋणों एवं अग्रिमों पर ₹0.49 लाख करोड़ का अतिरिक्त व्यय था।

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एमटीएफपी विवरण में कहा था कि उसकी राजकोषीय कार्यनीति के व्यापक लक्ष्यों में अवसंरचना विकास की गति को बनाए रखने के लिए पूंजीगत व्यय की ओर संसाधनों का आवंटन शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक कुल व्यय में वृद्धि के साथ-साथ पूंजीगत व्यय में भी निरपेक्ष रूप से निरंतर वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, कुल व्यय के अनुपात के रूप में पूंजीगत व्यय में वृद्धि वित्तीय वर्ष 2024-25 में, वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में अपेक्षाकृत कम दर से हुई।

**चित्र 2.12: कुल व्यय के अनुपात के रूप में राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय तथा ऋणों एवं अग्रिमों की प्रवृत्ति**

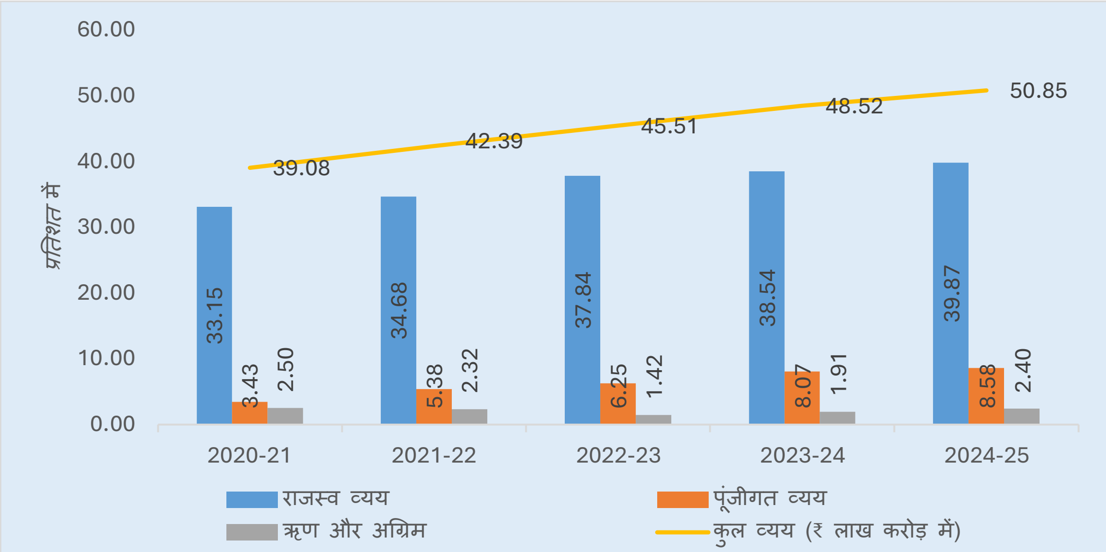


*स्रोत : संबंधित वर्षों के यूजीएफए।*

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान वास्तविक पूंजीगत व्यय बजट अनुमान से अधिक था। वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान वास्तविक पूंजीगत व्यय बीई से क्रमशः 3.69 *प्रतिशत* तथा 6.68 *प्रतिशत* कम रहा। (विवरण **अनुलग्नक 2.6** में दिया गया है।)

### ज. गैर-ऋण प्राप्तियाँ

**चित्र 2.13: गैर-ऋण प्राप्तियों की प्रवृत्ति**

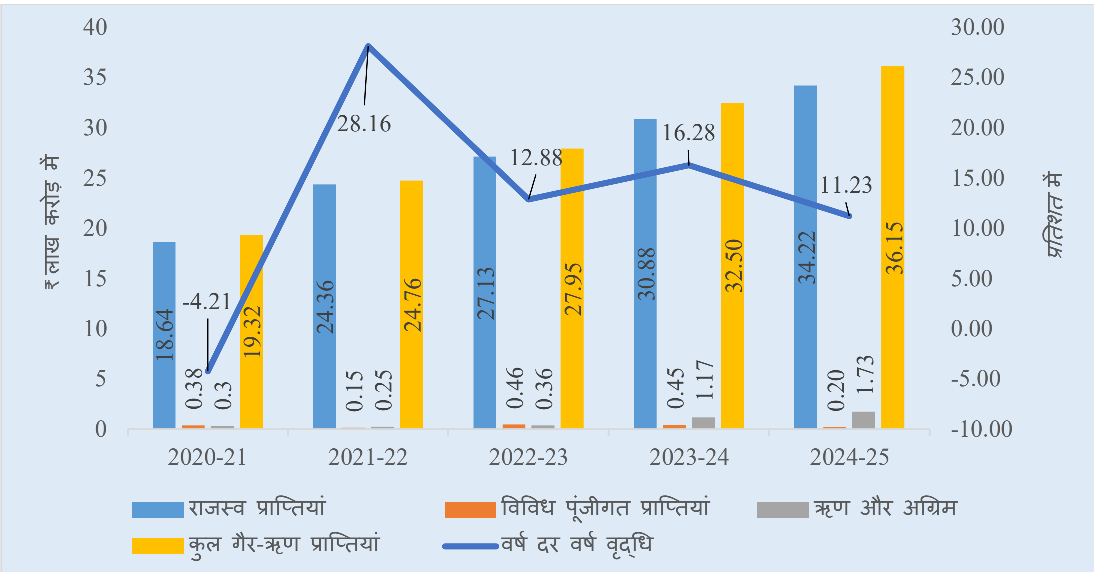


*स्रोत : संबंधित वर्षों के यूजीएफए।*

वित्तीय वर्ष 2021-22 में वृद्धि दर 28.16 *प्रतिशत* रही, जिसका कारण पिछले वर्ष का निम्न आधार था (कोविड-19 के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 में आई गिरावट)। इसके पश्चात वृद्धि दर घटकर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 12.88 *प्रतिशत* रह गई तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़कर 16.28 *प्रतिशत* हो गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में गैर-ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर 11.23 *प्रतिशत* रही।

**झ. गैर-ऋण प्राप्तियों से वित्तपोषित कुल व्यय**

वित्तीय वर्ष 2020-21 से गैर-ऋण संसाधनों से वहन किए गए कुल व्यय का विवरण नीचे **तालिका 2.14** में दिया गया है।

**तालिका 2.14: गैर-ऋण प्राप्तियों के संग्रह तथा कुल व्यय का वर्ष-वार विवरण**

| वित्तीय वर्ष | कुल व्यय (₹ लाख करोड़ में) | कुल व्यय में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (*प्रतिशत* में) | गैर-ऋण प्राप्तियाँ* (₹ लाख करोड़ में) | गैर-ऋण प्राप्तियों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (*प्रतिशत* में) | गैर-ऋण प्राप्तियों द्वारा वित्तपोषित कुल व्यय (*प्रतिशत* में) |
|---|---|---|---|---|---|
| **2020-21** | 39.08 | 28.22 | 19.32 | -4.21 | 49.44 |
| **2021-22** | 42.39 | 8.47 | 24.76 | 28.16 | 58.41 |
| **2022-23** | 45.51 | 7.36 | 27.95 | 12.88 | 61.42 |
| **2023-24** | 48.52 | 6.61 | 32.50 | 16.28 | 66.98 |
| **2024-25** | 50.85 | 4.80 | 36.15 | 11.23 | 71.09 |

*स्रोत : संबंधित वर्षों के यूजीएफए।*

**गैर-ऋण प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियाँ, विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ तथा ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली शामिल हैं।*

वित्तीय वर्ष 2024-25 में गैर-ऋण प्राप्तियों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में) 11.23 *प्रतिशत* रही। वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक स्वयं के संसाधनों (गैर-ऋण प्राप्तियों) द्वारा वित्तपोषित कुल व्यय के प्रतिशत में निरंतर वृद्धि हुई है, जो एक सकारात्मक संकेत है।

## 2.5 राजकोषीय घाटा (एफडी)

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 2(ए) "राजकोषीय घाटे" को एक वित्तीय वर्ष के दौरान, ऋण के पुनर्भुगतान को छोड़कर, भारत की संचित निधि से कुल संवितरण की, उस निधि में कुल प्राप्तियों (ऋण प्राप्तियों को छोड़कर) पर आधिक्य के रूप में परिभाषित करती है। इसी प्रकार, एफआरबीएम नियम, 2004

का नियम 2(सीए) "राजस्व घाटे" को राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित करता है

एफआरबीएम अधिनियम, 2003 की धारा 4 के अनुसार, केंद्र सरकार को 31 मार्च 2021 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के तीन *प्रतिशत* तक सीमित रखना था। तथापि, अधिनियम में किसी और संशोधन के अभाव में, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में उल्लिखित तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 के मध्यम-अवधि राजकोषीय नीति (एमटीएफपी) विवरणों में पुनः दोहराई गई प्रतिबद्धता के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 *प्रतिशत* से कम स्तर पर लाने हेतु राजकोषीय समेकन के व्यापक मार्ग का अनुसरण करने का संकल्प व्यक्त किया है।

नीचे **तालिका 2.15** में यूजीएफए 2024-25 की विवरण संख्या 1 में निहित सूचनाओं के आधार पर राजस्व घाटे तथा राजकोषीय घाटे की गणना दर्शाई गई है:

**तालिका 2.15: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजस्व एवं राजकोषीय घाटा**

*(₹ लाख करोड़ में)*

| व्यय | राशि | राजकोषीय मापदंड | प्राप्ति | राशि |
|---|---|---|---|---|
| राजस्व व्यय | 39.87 | **राजस्व घाटा 5.65** | राजस्व प्राप्तियां | 34.22 |
| पूंजीगत व्यय | 8.58 | | विविध पूंजीगत प्राप्तियां | 0.20 |
| ऋण और अग्रिम | 2.40 | | ऋण और अग्रिम की वसूली | 1.73 |
| कुल व्यय | 50.85 | **राजकोषीय घाटा 14.70** | कुल गैर-ऋण प्राप्तियां | 36.15 |

*स्रोत : वित्तीय वर्ष 2024-25 का यूजीएफए।*

तथापि, बजट एक नज़र (बीएजी) 2026-27 में दर्शाए गए राजकोषीय घाटे (₹15,74,431 करोड़) तथा राजस्व घाटे (₹5,64,296 करोड़) के आंकड़े, यूजीएफए 2024-25 के आधार पर उपर्युक्त रूप से की गई गणना से भिन्न थे।

विगत सीएजी प्रतिवेदन संख्या 1 वर्ष 2024 में लेखापरीक्षा द्वारा अनुशंसा की गई थी कि बजट एक नज़र में एक सामान्य प्रकटीकरण के साथ यह भी स्पष्ट किया जाए कि राजकोषीय घाटे की गणना से कुछ लेन-देन को बाहर रखने का आधार क्या है।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून 2026) कि प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के लिए एक समाधान विवरण प्राप्ति बजट के अनुलग्नक-3 और व्यय विवरण के विवरण 17 में प्रदान किया गया है। यह भी उल्लेख किया गया कि जो लेन-देन गैर-नकद प्रकृति के हैं और जिनमें कोई निवल नकद बहिर्प्रवाह आदि नहीं होता है, उन्हें राजकोषीय घाटे की गणना से बाहर रखा जाता है।

यद्यपि बीएजी 2023-24 (फरवरी 2023) से एक सामान्य प्रकटीकरण सम्मिलित किया गया है, फिर भी बजट दस्तावेजों में विस्तृत स्पष्टीकरण प्रदान किया जा सकता है।

**राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का प्रमुख स्रोत आंतरिक ऋण है**

राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण या तो अतिरिक्त लोक ऋण (आंतरिक अथवा बाह्य) के माध्यम से अथवा लोक लेखा में उपलब्ध अधिशेष निधियों का उपयोग करके किया जाता है। हमने इन स्रोतों की पहचान की है, जिसका विवरण नीचे **तालिका 2.16** में दिया गया है।

**तालिका 2.16: राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्रोत**

*(₹ लाख करोड़ में)*

| अवधि | आंतरिक ऋण (निवल) | | बाह्य ऋण (निवल) | | लोक लेखा (निवल) | | कैश ड्रॉडाउन | | राजकोषीय घाटा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राशि | *प्रतिशत* | राशि | *प्रतिशत* | राशि | *प्रतिशत* | राशि | *प्रतिशत* | राशि |
| **2020-21** | 18.89 | 95.65 | 0.89 | 4.51 | 0.04 | 0.20 | -0.07 | -0.36 | 19.75 |
| **2021-22** | 15.53 | 88.09 | 0.51 | 2.89 | 1.56 | 8.85 | 0.03 | 0.17 | 17.63 |
| **2022-23** | 16.12 | 91.80 | 0.54 | 3.07 | 0.92 | 5.24 | -0.02 | -0.11 | 17.56 |
| **2023-24** | 16.24 | 101.37 | 0.73 | 4.56 | -0.96 | -5.99 | 0.01 | 0.06 | 16.02 |
| **2024-25** | 12.25 | 83.33 | 0.66 | 4.49 | 1.78 | 12.11 | 0.01 | 0.07 | 14.70 |

*स्रोत : संबंधित वर्षों के यूजीएफए।*

वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण मुख्यतः निवल आंतरिक ऋण से किया गया, जिसकी हिस्सेदारी लगभग 83.33 *प्रतिशत* थी, जबकि बाह्य ऋण की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2023-24 के 4.56 *प्रतिशत* से घटकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4.49 *प्रतिशत* रह गई। राजकोषीय घाटे के घटकों को नीचे **तालिका 2.17** में दर्शाया गया है।

**तालिका 2.17: राजकोषीय घाटे के घटक**

*(₹ लाख करोड़ में)*

| अवधि | राजस्व घाटा | | निवल पूंजीगत व्यय | | निवल ऋण और अग्रिम | | राजकोषीय घाटा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राशि | *प्रतिशत* | राशि | *प्रतिशत* | राशि | *प्रतिशत* | राशि |
| **2020-21** | 14.50 | 73.42 | 3.05 | 15.44 | 2.20 | 11.14 | 19.75 |
| **2021-22** | 10.32 | 58.54 | 5.24 | 29.72 | 2.07 | 11.74 | 17.63 |
| **2022-23** | 10.71 | 60.99 | 5.79 | 32.97 | 1.06 | 6.04 | 17.56 |
| **2023-24** | 7.66 | 47.82 | 7.62 | 47.57 | 0.74 | 4.61 | 16.02 |
| **2024-25** | 5.65 | 38.43 | 8.38 | 57.01 | 0.67 | 4.56 | 14.70 |

*स्रोत : संबंधित वर्षों के यूजीएफए।*

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹14.70 लाख करोड़ के राजकोषीय घाटे में से ₹5.65 लाख करोड़ (38 *प्रतिशत*) का उपयोग राजस्व खाते के घाटे के वित्तपोषण हेतु किया गया। पिछले दो वित्तीय वर्षों में इस प्रतिशत में उल्लेखनीय कमी आई है, जो एक सकारात्मक संकेत है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजकोषीय घाटे के कारण होने वाला निवल पूंजीगत व्यय भी विस्तार के सकारात्मक संकेत दर्शाता है।

अध्याय 3

# प्रकटीकरण और पारदर्शिता

# अध्याय 3 प्रकटीकरण और पारदर्शिता

## 3.1 प्रकटीकरण विवरण

एफआरबीएम अधिनियम, 2003 की धारा 6(1) में प्रावधान है कि "केंद्र सरकार लोकहित में अपने राजकोषीय कार्यकलापों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदानों की मांगों की तैयारी में, जहाँ तक व्यावहारिक हो, गोपनीयता को यथासंभव कम करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी।" एफआरबीएम नियम, 2004 के नियम 6 के अनुसार भी केंद्र सरकार को वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदानों की मांगें प्रस्तुत करते समय निर्धारित प्रारूप में प्रकटीकरण (डी-1 से डी-5) प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, लेखांकन मानकों, नीतियों तथा पद्धतियों में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन, जो निर्धारित राजकोषीय संकेतकों की गणना को प्रभावित करता हो अथवा प्रभावित करने की संभावना रखता हो, उसका प्रकटीकरण भी एफआरबीएम नियमों के अंतर्गत किया जाना अपेक्षित है।

**तालिका 3.1: एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार प्रकटीकरण विवरण**

| प्रकटीकरण विवरण का शीर्षक | |
|---|---|
| डी1 | जुटाए गए लेकिन वसूल न किए गए कर राजस्व |
| डी2 | गैर-कर राजस्व की बकाया राशि |
| डी3 | सरकार द्वारा दी गई गारंटी |
| डी4 | परिसंपत्ति रजिस्टर |
| डी5 | वार्षिकी परियोजनाओं पर देयता |

### 3.1.1 जुटाए गए लेकिन वसूल न किए गए कर राजस्व संबंधी प्रकटीकरण विवरण 1 (डी1)

**चित्र 3.2: जुटाए गए लेकिन वसूल न किए गए कर राजस्व की प्रवृत्ति**

*(₹ लाख करोड़ में)*

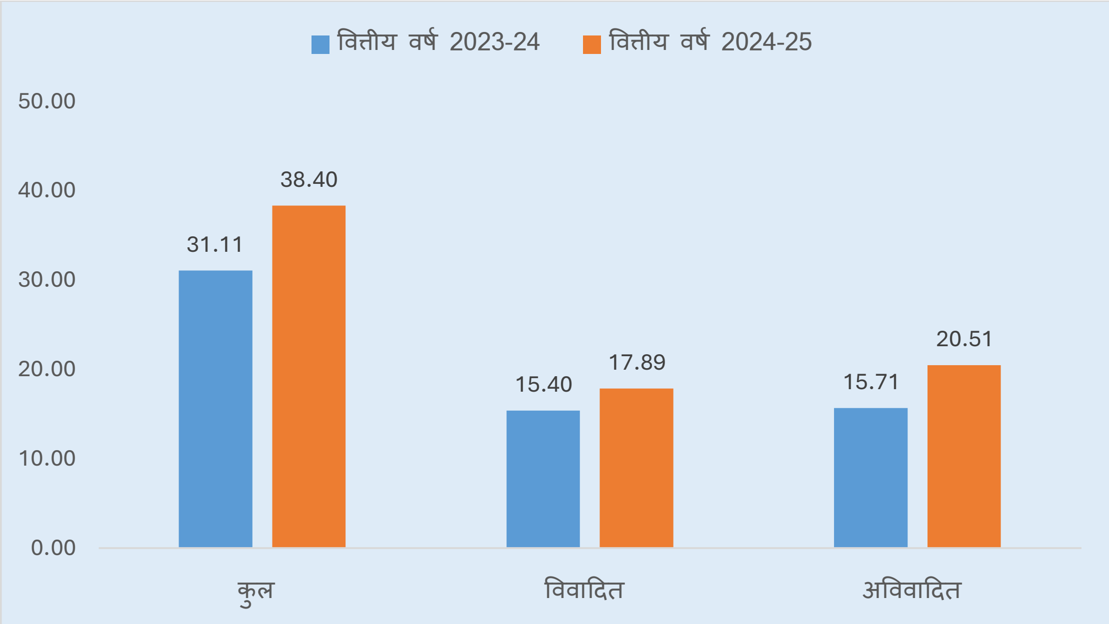


*स्रोत : वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के वास्तविक आंकड़ों के लिए क्रमशः प्राप्ति बजट 2025-26 तथा 2026-27।*

प्रकटीकरण विवरण 1 (डी1) में जुटाए गए लेकिन वसूल न किए गए कर राजस्व का विवरण दिया गया है, अर्थात ऐसी कर राजस्व राशि, जिसकी वसूली वर्ष के अंत तक शेष थी। इन राशियों को आगे 'विवादित राशि' तथा 'अविवादित राशि' की पृथक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है **(अनुलग्नक 3.1)**। डी1 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में ₹38.40 लाख करोड़ की कर राजस्व राशि देय थी किंतु उसकी वसूली अभी शेष थी, जो उस वर्ष के दौरान संग्रहित सकल कर का 101.16 *प्रतिशत* थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह अनुपात 89.76 *प्रतिशत* था।

जुटाए गए लेकिन वसूल न किए गए कर राजस्व की लंबित अवधि का विवरण नीचे **तालिका 3.3** में दिया गया है।

**तालिका 3.3: जुटाए गए लेकिन वसूल न किए गए कर राजस्व**

*(₹ लाख करोड़ में)*

| अवधि | वित्तीय वर्ष 2023-24 | | वित्तीय वर्ष 2024-25 | |
|---|---|---|---|---|
| | विवादित राशियाँ | अविवादित राशियाँ | विवादित राशियाँ | अविवादित राशियाँ |
| 1 वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम | 4.28 | 4.70 | 6.09 | 7.77 |
| 2 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम | 7.63 | 5.65 | 7.07 | 6.29 |
| 5 वर्ष से अधिक लेकिन 10 वर्ष से कम | 3.05 | 2.92 | 4.00 | 4.08 |
| 10 वर्ष से अधिक | 0.44 | 2.44 | 0.73 | 2.37 |
| कुल | **15.40** | **15.71** | **17.89** | **20.51** |
| कुल योग | 31.11 | | 38.40 | |

*स्रोत : वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्राप्ति बजट क्रमशः 2025-26 एवं 2026-27 में सम्मिलित प्रकटीकरण विवरण डी1 - जुटाए गए लेकिन वसूल न किए गए कर राजस्व।*

हमने पाया कि अप्राप्त राशि में ₹7.29 लाख करोड़ की वृद्धि हुई (वित्तीय वर्ष 2023-24 के ₹31.11 लाख करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹38.40 लाख करोड़)। अविवादित राशि में ₹4.80 लाख करोड़ की वृद्धि हुई (वित्तीय वर्ष 2023-24 के ₹15.71 लाख करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹20.51 लाख करोड़)। इसी प्रकार, विवादित राशि में ₹2.49 लाख करोड़ की वृद्धि हुई (वित्तीय वर्ष 2023-24 के ₹15.40 लाख करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹17.89 लाख करोड़)।

प्रकटीकरण विवरण में जुटाए गए लेकिन वसूल न किए गए कर राजस्व के कारणों के रूप में "बट्टे खाते में डालने की कार्रवाई होना, वसूली हेतु परिसंपत्तियों का उपलब्ध न होना अथवा अपर्याप्त होना (अपर्याप्तता की सीमा तक), निर्धारिती का पता न चलना, सुरक्षात्मक मांग, परिसमापनाधीन कंपनियाँ, सेटलमेंट कमीशन के समक्ष मामले तथा न्यायालयों/आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)/आयकर प्राधिकारियों द्वारा स्थगित मांगें" आदि का उल्लेख किया गया है।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून 2026) कि जिन नागरिकों/कॉर्पोरेट्स के प्रति कर की मांग की गई है, उनके पास उपयुक्त न्यायिक मंच से संपर्क करने का अधिकार है।

इस नियत प्रक्रिया को स्वीकार करते हुए भी, इस कर राजस्व की समयबद्ध वसूली, विशेषकर 'अविवादित' श्रेणी के अंतर्गत आने वाली राशि की, उतनी सीमा तक उधारियों की आवश्यकता को कम कर सकती थी।

### 3.1.2 प्रकटीकरण विवरण 2: गैर-कर राजस्व की बकाया राशि तथा प्रकटीकरण विवरण 4: परिसंपत्ति रजिस्टर में असंगतियाँ

एफआरबीएम नियमों के नियम 6 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण के अनुसार, गैर-कर राजस्व (एनटीआर) की बकाया राशि का विवरण प्राप्ति बजट में दिया जाता है। विगत सीएजी प्रतिवेदनों[25] में यह इंगित किया गया था कि विवरण डी-2 में ब्याज प्राप्तियों[26] की बकाया राशि के रूप में प्रदर्शित आंकड़ों तथा उस वर्ष के संघ सरकार वित्त लेखा (विवरण संख्या 3 व 15) में प्रदर्शित आंकड़ों के बीच अंतर विद्यमान था। यह अंतर वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी बना हुआ है, जैसा कि नीचे **तालिका 3.4** में दर्शाया गया है।

**तालिका 3.4: ब्याज प्राप्तियों की बकाया राशि में असंगति**

*(₹ करोड़ में)*

| बकाया ब्याज प्राप्तियाँ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ऋणी इकाई | डी2 (प्राप्ति बजट) के अनुसार | | यूजीएफए की विवरण संख्या 3 के अनुसार | | यूजीएफए की तुलना में अंतर | |
| | 2023-24 | 2024-25 | 2023-24 | 2024-25 | 2023-24 | 2024-25 |
| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार | 1,627.85 | 5,317.79 | 4,935.61 | 5,302.30 | 3,307.76 | 15.49 |
| सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रम | 51,835.19 | 61,895.91 | 54,870.74 | 61,980.99 | 3,035.45 | 85.08 |

*स्रोत : प्राप्ति बजट 2026-27 एवं 2025-26, तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के संघ सरकार वित्त लेखे।*

[25] 2021 की प्रतिवेदन संख्या 6 (वित्तीय वर्ष 2017-19 हेतु), 2022 की प्रतिवेदन संख्या 18 (वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु), 2022 की प्रतिवेदन संख्या 32 (वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु), 2024 की प्रतिवेदन संख्या 1 (वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु), 2025 की प्रतिवेदन संख्या 3 (वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु) तथा 2025 की प्रतिवेदन संख्या 19 (वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु)।

[26] राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से ब्याज प्राप्तियों की बकाया राशि।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में इन अंतरों में उल्लेखनीय कमी आई है।

इसी प्रकार, प्रकटीकरण विवरण डी4 परिसंपत्ति रजिस्टर में दर्शाई गई वित्तीय परिसंपत्तियों (विदेशी सरकारों, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश को दिए गए बकाया ऋण) की राशि, प्राप्ति बजट 2026-27 की विवरण संख्या 1(ii) में दर्शाई गई राशि से भिन्न थी।

**तालिका 3.5: वित्तीय परिसंपत्तियों (ऋण एवं अग्रिम) के आंकड़ों में असंगति**

*(₹ करोड़ में)*

| मद | प्राप्ति बजट 2026-27 में डी-4 (परिसंपत्ति रजिस्टर) के अनुसार | वित्तीय वर्ष 2024-25 के यूजीएफए तथा प्राप्ति बजट 2026-27 की विवरण संख्या 1(ii) के अनुसार | अंतर |
|---|---|---|---|
| विदेशी सरकारों को ऋण | 17,529.95 | 17,216.32 | -313.63 |
| राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ऋण | 5,100.53 | 6,63,984.75 | 6,58,884.22 |

*स्रोत : प्राप्ति बजट 2026-27 तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के संघ सरकार वित लेखे।*

इस असंगति को विगत सीएजी प्रतिवेदनों[27] में भी नियमित रूप से इंगित किया गया है। यद्यपि दोनों विवरण एक ही दस्तावेज़ (प्राप्ति बजट) का भाग हैं, फिर भी यह असंगति वित्तीय वर्ष 2024-25 में बनी रही।

मंत्रालय ने उल्लेख किया (जून 2026) कि टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है और डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालयों को सख्त निर्देश जारी किए जाएंगे।

[27] सीएजी की वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 तथा 2023-24 के लिए क्रमशः वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 18, वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 32, वर्ष 2024 की प्रतिवेदन संख्या 01, वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या 03 तथा वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या 19।

### 3.1.3 प्रकटीकरण विवरण 3 : सरकार द्वारा दी गई गारंटियों में असंगतियाँ

एफआरबीएम नियम, 6 के अधीन विहित प्रपत्र डी-3 में प्रकटीकरण विवरण में केंद्र सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का विवरण निम्नानुसार छह विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर प्रस्तुत किया गया है:

I. भारतीय रिज़र्व बैंक, अन्य बैंकों तथा औद्योगिक एवं वित्तीय संस्थानों को मूलधन एवं ब्याज के पुनर्भुगतान, नकद साख सुविधा, मौसमी कृषि कार्यों के वित्तपोषण तथा/अथवा कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों एवं बैंकों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए दी गई गारंटियाँ।

II. सांविधिक निगमों तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी अथवा निर्धारित शेयर पूंजी के पुनर्भुगतान, न्यूनतम वार्षिक लाभांश के भुगतान तथा बांडों, ऋणों एवं डिबेंचरों के पुनर्भुगतान के लिए दी गई गारंटियाँ।

III. भारत सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, विदेशी ऋणदाता अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए समझौतों के अनुसरण में ऋणों आदि के मूलधन, ब्याज तथा/अथवा प्रतिबद्धता प्रभारों के पुनर्भुगतान तथा/अथवा सामग्री एवं उपकरणों की आपूर्ति के प्रति भुगतान हेतु दी गई गारंटियाँ।

IV. बैंकों द्वारा विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में सामग्री की आपूर्ति अथवा सेवाएँ प्रदान किए जाने के संबंध में साख-पत्र अथवा प्राधिकार जारी किए जाने के संबंध में बैंकों को दी गई प्रति-गारंटियाँ।

V. केंद्र सरकार की कंपनियों अथवा निगमों द्वारा देय राशियों के समय पर एवं विधिवत भुगतान सुनिश्चित करने के लिए रेलवे को दी गई गारंटियाँ।

VI. उपर्युक्त पाँच श्रेणियों के अंतर्गत शामिल न होने वाली अन्य गारंटियाँ।

यह सूचना संघ सरकार के वित्त लेखों (यूजीएफए) के विवरण 4 में निहित सूचना के समान है। तथापि, प्राप्ति बजट 2026-27 (प्रपत्र डी-3) की संघ सरकार के वित्त लेखे 2024-25 में उपलब्ध संगत आँकड़ों के साथ संवीक्षा करने पर विसंगति पाई गई, जैसा **तालिका 3.6** में दर्शाया गया है।

**तालिका 3.6: सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ (विवरण डी-3 तथा यूजीएफए)**

*(₹ करोड़ में)*

| मंत्रालय/विभाग का नाम | वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यूजीएफए के अनुसार | प्राप्ति बजट 2026-27 के अनुसार | अंतर |
|---|---|---|---|
| **श्रेणी I गारंटी:** | | | |
| **वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग** | | | |
| **वर्ष के प्रारंभ में बकाया** | 10835.42 (11) | 10,970.57 (7) | 135.15 |
| **वर्ष के दौरान वृद्धि** | 778.76 | 643.61 | -135.15 |
| **श्रेणी III गारंटी:** | | | |
| (i) **वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग** | | | |
| **वर्ष के प्रारंभ में बकाया** | 73,951.33 (268) | 75,157.46 (291) | 1,206.13 |
| **वर्ष के दौरान वृद्धि** | 8,533.20 (42) | 7,327.07 (15) | -1,206.13 |
| **(ii) विदेश मंत्रालय** | | | |
| **वर्ष के प्रारंभ में बकाया** | 14,627.48 (7) | 18,423.59 (9) | 3,796.11 |
| **वर्ष के दौरान वृद्धि** | 6,887.52 (4) | 3,091.41 (2) | -3,796.11 |

*नोट : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े गारंटियों की संख्या को दर्शाते हैं।*

चूँकि यूजीएफए 2024-25 संसद में दिसंबर 2025 में प्रस्तुत किया गया था, अतः उससे भिन्न कोई भी आंकड़ा, जो जनवरी 2026 में तैयार किए गए तथा फरवरी 2026 में संसद में प्रस्तुत प्राप्ति बजट 2026-27 में दर्शाया गया हो, उसका समुचित मिलान किया जाना तथा प्राप्ति बजट में अंतर की राशि का उपयुक्त स्पष्टीकरण सहित उल्लेख किया जाना अपेक्षित है।

मंत्रालय ने उल्लेख किया (जून 2026) कि टिप्पणी को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है और आगामी वर्षों में गारंटी विवरण में स्पष्टता लाने के लिए फुटनोट्स शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे।

## 3.2 एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य विवरणों में प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के बजट अनुमानों के प्रकटीकरण में भिन्नता

**(क)** एफआरबीएम अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार, "वित्त मंत्रालय के प्रभारी मंत्री बजट के सापेक्ष प्राप्तियों तथा व्यय की प्रवृत्तियों की अर्धवार्षिक समीक्षा करेंगे तथा

ऐसी समीक्षाओं के परिणाम संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।" अतः अपेक्षित अनुपालन का निर्धारण करने के लिए सही बजट आंकड़ों का आधार के रूप में उपयोग किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम छमाही के अंत में अर्धवार्षिक समीक्षा विवरण (प्राप्तियां और व्यय की प्रवृत्तियां) का परीक्षण करने पर पाया गया कि विवरण की तालिका 1 में दर्शाए गए वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के बजट अनुमान आंकड़े, वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्शाए गए आंकड़ों से भिन्न थे। अवलोकित अंतर **तालिका 3.7** में दर्शाए गए हैं।

**तालिका 3.7: एच-1/एच-2 विवरणों तथा एएफएस में प्रयुक्त प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के बीई आंकड़ों में भिन्नता**

| क्रम संख्या | विवरण | बजट अनुमान (बीई) (₹ करोड़ में) | |
|---|---|---|---|
| | | वित्तीय वर्ष 2024-25 के एच1 और एच2 के अनुसार | वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एएफएस के अनुसार |
| 1 | राजस्व प्राप्तियां (2+3) | 31,29,200 | 35,04,334.53 |
| 2 | कर राजस्व | 25,83,499 | 25,92,959.12 |
| 3 | गैर-कर राजस्व | 5,45,701 | 9,11,375.41 |
| 4 | पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7) | 16,91,312 | 15,00,536.29 |
| | गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (5+6) | 78,000 | 1,28,250.00 |
| 5 | ऋणों की वसूली | 28,000 | 78,250.00 |
| 6 | अन्य प्राप्तियाँ | 50,000 | 50,000.00 |
| 7 | उधार और अन्य देयताएँ | 16,13,312 | 16,36,442.99 |
| *8* | ***कुल प्राप्तियाँ (1+4)*** | 48,20,512 | 50,04,870.82 |
| *9* | राजस्व व्यय | 37,09,401 | 40,85,175.38 |
| 10 | ब्याज भुगतान | 11,62,940 | 11,92,940.29 |
| 11 | पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान | 3,90,778 | |
| 12 | पूंजीगत व्यय | 11,11,111 | 11,83,852.14 |
| 13 | ***कुल व्यय (9+12)*** | 48,20,512 | 52,69,027.52 |
| 14 | राजस्व घाटा (9-1) | 5,80,201 | 5,80,840.85 |
| *15* | ***प्रभावी राजस्व घाटा (14-11)*** | 1,89,423 | - |
| *16* | ***राजकोषीय घाटा {13-(1+5+6)}*** | 16,13,312 | 16,36,442.99 |
| *17* | ***प्राथमिक घाटा (16-10)*** | 4,50,372 | 4,43,502.70 |

*स्रोत : वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एच-1 व एच-2 तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 का एएफएस।*

चूँकि एच-1 एवं एच-2 विवरण, एफआरबीएम अधिनियम, 2003 की धारा 7(1) के अनुसार संसद में प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं, अतः एच-1 एवं एच-2 की तालिका 1 में दर्शाए गए प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के (बीई) के आंकड़े, एएफएस में दर्शाए गए आंकड़ों के अनुरूप होने चाहिए जो स्वयं भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार तैयार किया जाता है तथा एफआरबीएम अधिनियम की धारा 7(1) में प्रयुक्त बजट शब्द का आशय भी एएफएस से है।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून 2026) कि प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के लिए एक समाधान विवरण प्राप्ति बजट के अनुलग्नक-3 तथा व्यय प्रोफाइल की विवरण संख्या 17 में उपलब्ध कराया गया है।

तथापि, एच-1 तथा एच-2 विवरणों में इस संबंध में प्रकटीकरण किए जाने से इन विवरणों की पारदर्शिता और सुदृढ़ हो सकती है।

**(ख)** एफआरबीएम अधिनियम, 2003 की धारा 3(1) के अनुसार, केंद्र सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदानों की मांगों के साथ मध्यम-अवधि राजकोषीय नीति-सह-राजकोषीय नीति कार्यनीति विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेगी। एमटीएफपी का प्रारूप नियम 4(ए) तथा नियम 5 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, जिनमें प्रपत्र एफ-1 में निर्दिष्ट राजकोषीय संकेतकों के लक्ष्यों को दर्शाना अपेक्षित है।

बजट 2024-25 के साथ प्रस्तुत एमटीएफपी विवरण की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि उसमें उल्लिखित प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के बजट अनुमान के आंकड़े, वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्शाए गए आंकड़ों से भिन्न थे। अवलोकित भिन्नताएँ नीचे **तालिका 3.8** में दी गई हैं।

**तालिका 3.8: एमटीएफपी विवरण तथा एएफएस में प्रयुक्त प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के बीई आंकड़ों में भिन्नता**

*(₹ लाख करोड़ में)*

| क्रम संख्या | विवरण | बजट अनुमान (बीई) | |
|---|---|---|---|
| | | वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एमटीएफपी के अनुसार | वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एएफएस के अनुसार |
| 1 | राजकोषीय घाटा | 16.13 | 16.36 |
| 2 | राजस्व घाटा | 5.80 | 5.81 |
| 3 | प्राथमिक घाटा | 4.5 | 4.44 |
| 4 | गैर-कर राजस्व | 5.46 | 9.11 |

*स्रोत: वित्तीय वर्ष 2024-25 के एमटीएफपी तथा एएफएस।*

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून 2026) कि विभिन्न विवरणों का उद्देश्य अलग-अलग होता है और प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के लिए एक समाधान विवरण प्राप्ति बजट के अनुलग्नक-3 और व्यय प्रोफ़ाइल के विवरण 17 में प्रदान किया गया है।

चूँकि एमटीएफपी विवरण (एफआरबीएम नियम, 2004 के नियम 4 एवं 5 के अनुसार तैयार) तथा एएफएस विवरण (संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत निर्धारित) दोनों एक ही बजट दस्तावेज़ के भाग हैं, इसलिए एमटीएफपी में दर्शाये बजट अनुमान के आंकड़ों का वार्षिक वित्तीय विवरण में दर्शाए गए आंकड़ों के अनुरूप होना अपेक्षित था।

इसके अतिरिक्त, प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के बजट अनुमान के आंकड़ों का मद-वार समन्वयन उपलब्ध न होने के कारण, केंद्र सरकार के राजकोषीय कार्यकलापों में अपेक्षित पारदर्शिता तथा मध्यम-अवधि ढाँचे के अंतर्गत राजकोषीय नीति का संचालन प्रभावित होता दिखता है।

इसके अलावा, सरकारी दस्तावेजों में आंकड़ों में एकरूपता होना आदर्श होगा और एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार (जैसा कि एएफएस में है) सकल आंकड़ों के उपयोग पर विचार किया जा सकता है, अन्यथा स्पष्टता के लिए इन विवरणों में एक विस्तृत टिप्पणी दी जानी चाहिए।

**नई दिल्ली** **(खालिद बिन जमाल)**

**दिनांक: 27 जुलाई 2026** **महानिदेशक लेखापरीक्षा**

**वित्त एवं संचार**

***प्रतिहस्ताक्षरित***

**नई दिल्ली** **(के. संजय मूर्ति)**

**दिनांक: 29 जुलाई 2026** **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

# अनुलग्नक

## *अनुलग्नक 1.1*
## *(पैरा 1.1 देखें)*

## एफआरबीएम अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों एवं तत्पश्चात किए गए संशोधनों की संक्षिप्त प्रमुख विशेषताएँ

*(जीडीपी के प्रतिशत के रूप में आंकड़े)*

| राजकोषीय संकेतक | | लक्ष्य विवरण | प्रमुख अधिनियम/नियम | पहला संशोधन (2004 में) | दूसरा संशोधन (2012 में) | तीसरा संशोधन (2015 में) | चौथा संशोधन (2018 में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **राजस्व घाटा** | लक्ष्य | शून्य | शून्य | 2 | 2 | कोई लक्ष्य नहीं |
| | | वार्षिक कमी | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | |
| | | वित्तीय वर्ष से प्रारंभ | 2004-05 | 2004-05 | 2013-14 | 2015-16 | |
| | | लक्ष्य की वैधता | 31.03.08 | 31.03.09 | 31.03.15 | 31.03.18 | |
| 2 | **राजकोषीय घाटा** | लक्ष्य | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | वार्षिक कमी | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 |
| | | वित्तीय वर्ष से प्रारंभ | 2004-05 | 2004-05 | 2013-14 | 2015-16 | 2018-19 |
| | | लक्ष्य की वैधता | 31.03.08 | 31.03.09 | 31.03.17 | 31.03.18 | 31.03.21 |
| 3 | **गारंटी** | वित्तीय वर्ष 2004-05 से प्रारंभ करते हुए, किसी भी वित्तीय वर्ष में कुल गारंटी जीडीपी के 0.5 *प्रतिशत* से अधिक नहीं होंगी। | | | | | किसी भी वित्तीय वर्ष में भारत की संचित निधि की सुरक्षा पर लिए गए किसी ऋण के लिए जीडीपी के आधा *प्रतिशत* से अधिक की कोई अतिरिक्त **गारंटी** नहीं दी जाएगी। |
| 4 | **देयता/ ऋण** | वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए जीडीपी के 9 *प्रतिशत* से अधिक की अतिरिक्त देयताएँ (वर्तमान विनिमय दर पर बाह्य ऋण सहित) ग्रहण नहीं की जाएंगी तथा प्रत्येक आगामी | | | | | सामान्य सरकारी ऋण तथा केन्द्र सरकार का ऋण |

<table>
<tr><th>राजकोषीय संकेतक</th><th>लक्ष्य विवरण</th><th>प्रमुख अधिनियम/नियम</th><th>पहला संशोधन (2004 में)</th><th>दूसरा संशोधन (2012 में)</th><th>तीसरा संशोधन (2015 में)</th><th>चौथा संशोधन (2018 में)</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">वित्तीय वर्ष में जीडीपी के 9 प्रतिशत की इस सीमा को कम-से-कम एक प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष की दर से क्रमिक रूप से कम किया जाएगा।</td><td>वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक क्रमशः जीडीपी के 60 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।</td></tr>
</table>

## *अनुलग्नक 1.2*
## *(पैरा 1.1 देखें)*

### वित्त मंत्रालय द्वारा मध्य-वर्षीय समीक्षा के परिणाम

*(₹ लाख करोड़ में)*

| मापदंड | वित्तीय वर्ष 2024-25 की अप्रैल-सितंबर (एच1) अवधि के लिए लक्ष्य | वित्तीय वर्ष 2024-25 की अप्रैल-सितंबर (एच1) अवधि के वास्तविक आंकड़े |
|---|---|---|
| गैर-ऋण प्राप्तियाँ | | |
| गैर-ऋण प्राप्तियां (बीई: 32.07) | 12.83 | 16.37 |
| मध्य-वर्षीय मानक (बीई के *प्रतिशत* के रूप में) | 40 *प्रतिशत* से कम नहीं | 51.04 *प्रतिशत* (कोई प्रतिकूल विचलन नहीं) |
| राजस्व घाटा | | |
| राजस्व घाटा (बीई: 5.80) | 4.06 | 0.74 |
| मध्य-वर्षीय मानक (बीई के *प्रतिशत* के रूप में) | 70 *प्रतिशत* से अधिक नहीं | 12.76 *प्रतिशत* (कोई प्रतिकूल विचलन नहीं) |
| राजकोषीय घाटा | | |
| राजकोषीय घाटा (बीई: 16.13) | 11.30 | 4.74 |
| मध्य-वर्षीय मानक (बीई के *प्रतिशत* के रूप में) | 70 *प्रतिशत* से अधिक नहीं | 29.38 *प्रतिशत* (कोई प्रतिकूल विचलन नहीं) |

*स्रोत: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एच 1 विवरण।*

## *अनुलग्नक 2.1*
## *(पैरा 2.1.1 देखें)*
## केंद्र सरकार का बकाया ऋण

*(₹ लाख करोड़ में)*

| वित्तीय वर्ष | आंतरिक ऋण | वर्तमान विनिमय दर पर बाह्य ऋण | लोक लेखा देयता | अतिरिक्त बजटीय संसाधन | नकद शेष [28] | केंद्र सरकार का ऋण | वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी | जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार का ऋण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (1+2+3+4-5) | 7 | 8 (6/7x100) |
| 2022-23 | 130.74 | 7.48 | 16.57 | 1.38 | 0.04 | 156.13 | 261.18 | 59.78 |
| 2023-24 | 146.98 | 7.96 | 17.14 | 1.38 | 1.75 | 171.71 | 289.84 | 59.24 |
| 2024-25 | 159.26 | 8.74 | 17.38 | 1.38 | 0.81 | 185.95 | 318.07 | 58.46 |

*स्रोत: आंतरिक ऋण, बाह्य ऋण तथा लोक लेखा देयताओं के लिए संबंधित वर्षों के यूजीएफए का संदर्भ लें। अतिरिक्त बजटीय संसाधन (सकल) के आंकड़े वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2026-27 तक के बजट दस्तावेजों में व्यय प्रोफाइल के विवरण 27 के अनुसार हैं। जीडीपी संबंधी आंकड़ों के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की दिनांक 05 जून 2026 की प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ लें।*

[28] वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक के लिए नकद शेष के आंकड़ों में संघ सरकार के वित्त लेखों के एमएच-8673 (नकद शेष निवेश लेखा) तथा एमएच-8999 (नकद शेष) को सम्मिलित किया गया है।

## *अनुलग्नक 2.2*
## *(पैरा 2.3 देखें)*
## गारंटी का विवरण

*(₹ लाख करोड़ में)*

| क्रम संख्या | घटक | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | वर्ष के दौरान अधिकतम गारंटी राशि | 5.80 | 3.59 | 3.74 |
| 2 | वर्ष के प्रारंभ में बकाया | 5.20 | 3.18 | 3.31 |
| 3 | वर्ष के दौरान वृद्धि | 0.61 | 0.41 | 0.44 |
| 4 | हटाई गयी गारंटी (लागू गारंटियों को छोड़कर) | 2.61 | 0.25 | 0.36 |
| 5 | वर्ष के दौरान लागू | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| 6 | कुल गारंटियां [3-(4+5)] | -2.05 | 0.12 | 0.03 |
| 7 | वर्ष के अंत में बकाया | 3.14 | 3.31 | 3.33 |
| 8 | जीडीपी | 261.18 | 289.84 | 318.07 |
| 9 | जीडीपी के प्रतिशत के रूप में वर्ष के दौरान अधिकतम गारंटी राशि | 2.22 | 1.24 | 1.18 |
| 10 | जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अतिरिक्त गारंटियां | 0.23 | 0.14 | 0.14 |
| 11 | जीडीपी के प्रतिशत के रूप में वर्ष के अंत में बकाया राशि | 1.20 | 1.14 | 1.05 |

*स्रोत: संबंधित वर्ष का डी3। जीडीपी हेतु - एनएसओ की दिनांक 05 जून 2026 की प्रेस विज्ञप्ति।*

## अनुलग्नक 2.3

## (पैरा 2.4 ग देखें)

## राजस्व प्राप्तियों के वास्तविक आंकड़ों तथा अनुमानों का तुलनात्मक विश्लेषण

(₹ लाख करोड़ में)

| मद | बीई | आरई | वास्तविक | अंतर (वास्तविक के लिए बीई) (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|---|
| सकल कर राजस्व | 38.40 | 38.53 | 37.96 | **-1.15** |
| वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) | 10.67 | 10.67 | 10.32 | **-3.26** |
| आय और व्यय पर कर | 21.70 | 21.82 | 21.70 | **0.00** |
| संपत्ति, पूंजीगत और अन्य लेनदेन पर कर | 0.37 | 0.55 | 0.53 | **43.24** |
| वस्तु एवं सेवा कर के अलावा वस्तुओं और सेवाओं पर कर | 5.62 | 5.45 | 5.41 | **-3.71** |
| (क) कर राजस्व | 25.93 | 25.67 | 25.09 | **-3.24** |
| (ख) गैर-कर राजस्व | 9.11 | 9.19 | 9.13 | **0.22** |
| (क+ख) राजस्व प्राप्तियाँ | **35.04** | **34.86** | **34.22** | **-2.34** |

*स्रोत : बीई तथा आरई के लिए वर्ष 2025-26 का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा वास्तविक आंकड़ों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 का यूजीएफए।*

## *अनुलग्नक 2.4*
## *(पैरा 2.4 घ देखें)*
## राजस्व संवितरणों के वास्तविक आंकड़ों तथा अनुमानों का तुलनात्मक विश्लेषण (2024-25)

*(₹ करोड़ में)*

| मद | बीई | आरई | वास्तविक | अंतर (प्रतिशत में) (बीई से वास्तविक आंकड़े) | अंतर (प्रतिशत में) (आरई से वास्तविक आंकड़े) |
|---|---|---|---|---|---|
| (ए) सामान्य सेवाएँ | **19,78,475.69** | **20,42,886.10** | **20,16,115.55** | **1.90** | **-1.31** |
| (क) राज्य का अंग | 13,541.44 | 14,107.08 | 14,735.98 | 8.82 | 4.46 |
| संसद/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश विधानमंडल | 1,208.51 | 1,215.35 | 1,069.40 | -11.51 | -12.01 |
| राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक | 121.19 | 132.78 | 136.52 | 12.65 | 2.82 |
| मंत्री परिषद् | 1,148.93 | 676.30 | 639.25 | -44.36 | -5.48 |
| न्याय प्रशासन | 2,552.57 | 2,265.34 | 2,353.99 | -7.78 | 3.91 |
| निर्वाचन | 2,724.26 | 3,732.03 | 4,491.75 | 64.88 | 20.36 |
| लेखापरीक्षा | 5,785.98 | 6,085.28 | 6,045.07 | 4.48 | -0.66 |
| (ख) राजकोषीय सेवाएँ | 53,227.32 | 53,017.48 | 51,603.47 | -3.05 | -2.67 |
| (ग) ब्याज भुगतान और ऋण सेवा-निर्वहन | 11,92,940.29 | 11,85,170.92 | 11,64,270.63 | -2.40 | -1.76 |
| (घ) प्रशासनिक सेवाएँ | 1,54,290.61 | 1,64,840.58 | 1,66,065.75 | 7.63 | 0.74 |
| (ङ) पेंशन और विविध सामान्य सेवाएँ | 2,74,929.89 | 3,20,886.63 | 3,18,482.30 | 15.84 | -0.75 |
| (च) रक्षा सेवाएँ | 2,89,546.14 | 3,04,863.41 | 3,00,957.42 | 3.94 | -1.28 |
| (बी) सामाजिक सेवाएँ | **2,40,608.79** | **1,88,817.46** | **1,94,315.66** | **-19.24** | **2.91** |
| (क) शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति | 65,534.21 | 64,249.73 | 70,339.49 | 7.33 | 9.48 |
| (ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 41,651.59 | 42,499.30 | 47,410.45 | 13.83 | 11.56 |
| (ग) जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास | 78,333.91 | 32,121.96 | 34,274.26 | -56.25 | 6.70 |
| *(i) जल आपूर्ति और स्वच्छता* | 64,302.85 | 21,260.01 | 23,986.14 | -62.70 | 12.82 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *(ii) आवास* | 11,703.42 | 8,689.88 | 7,114.66 | -39.21 | -18.13 |
| *(iii) शहरी विकास* | 2,327.64 | 2,172.07 | 3,173.46 | 36.34 | 46.10 |
| (घ) सूचना एवं प्रसारण | 4,049.17 | 4,314.26 | 4,129.06 | 1.97 | -4.29 |
| (ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 10,198.67 | 7,090.94 | 6,121.03 | -39.98 | -13.68 |
| (च) श्रम और श्रमिक कल्याण | 22,471.94 | 18,479.59 | 13,270.93 | -40.94 | -28.19 |
| (छ) सामाजिक कल्याण और पोषण | 5,122.79 | 4,709.09 | 16,231.76 | 216.85 | 244.69 |
| (ज) अन्य | 13,246.51 | 15,352.59 | 2,538.68 | -80.84 | -83.46 |
| (सी) आर्थिक सेवाएँ | **11,99,465.21** | **12,44,137.71** | **11,79,476.16** | **-1.67** | **-5.20** |
| (क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ | 3,68,855.25 | 3,76,903.41 | 3,90,552.31 | 5.88 | 3.62 |
| (ख) ग्रामीण विकास | 89,795.90 | 89,653.20 | 90,712.55 | 1.02 | 1.18 |
| (ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम | 79,170.84 | 67,188.45 | 3,806.94 | -95.19 | -94.33 |
| (घ) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण | 10,864.04 | 6,585.91 | 8,299.28 | -23.61 | 26.02 |
| (ङ) ऊर्जा | 54,898.82 | 54,698.71 | 63,205.52 | 15.13 | 15.55 |
| (च) उद्योग एवं खनिज | 1,81,643.90 | 1,81,345.16 | 1,71,596.00 | -5.53 | -5.38 |
| (छ) परिवहन | 2,89,972.31 | 3,09,201.27 | 2,98,126.61 | 2.81 | -3.58 |
| (ज) संचार | 44,785.15 | 65,543.34 | 65,227.03 | 45.64 | -0.48 |
| (झ) विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण | 38,276.97 | 35,924.28 | 33,619.29 | -12.17 | -6.42 |
| (ञ) सामान्य आर्थिक सेवाएँ | 41,202.03 | 57,093.98 | 54,330.63 | 31.86 | -4.84 |
| (डी) सहायता अनुदान और अंशदान | **6,66,625.69** | **6,20,765.80** | **5,97,466.34** | **-10.37** | **-3.75** |
| राजस्व व्यय (ए+बी+सी+डी) | **40,85,175.38** | **40,96,607.07** | **39,87,373.71** | **-2.39** | **-2.67** |

*स्रोत : बीई 2025-26 तथा आरई 2024-25 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण (एएफएस) और वित्तीय वर्ष 2024-25 के वास्तविक आंकड़ों के लिए यूजीएफए।*

## *अनुलग्नक 2.5*

*(पैरा 2.4 ड. देखें)*

## प्रमुख विकास क्षेत्रों पर व्यय के वास्तविक आंकड़ों तथा अनुमानों का तुलनात्मक विश्लेषण (वितीय वर्ष 2024-25)

*(₹ करोड़ में)*

| प्रमुख विकास क्षेत्रों से संबंधित विभाग | | बीई | आरई | वास्तविक | अंतर (बीई से वास्तविक आंकड़े) (*प्रतिशत में*) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. कृषि और किसान कल्याण विभाग<br>2. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग | राजस्व | 2,37,120.72 | 2,49,193.11 | 2,42,108.43 | 2.10 |
| | पूंजीगत | 102.14 | 122.45 | 78.34 | -23.30 |
| | कुल | 2,37,222.86 | 2,49,315.56 | 2,42,186.77 | 2.09 |
| 1. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग<br>2. उच्चतर शिक्षा विभाग | राजस्व | 1,91,183.54 | 1,84,541.91 | 1,79,735.28 | -5.99 |
| | पूंजीगत | 11.82 | 8.83 | 5.09 | -56.94 |
| | कुल | 1,91,195.36 | 1,84,550.74 | 1,79,740.37 | -5.99 |
| 1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग<br>2. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग | राजस्व | 1,09,239.94 | 1,08,943.69 | 1,07,107.46 | -1.95 |
| | पूंजीगत | 3,613.15 | 2,550.75 | 2,399.31 | -33.60 |
| | कुल | 1,12,853.09 | 1,11,494.44 | 1,09,506.77 | -2.97 |
| पेयजल एवं स्वच्छता विभाग | राजस्व | 77,389.18 | 29,915.18 | 26,257.16 | -66.07 |
| | पूंजीगत | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| | कुल | 77,390.68 | 29,916.68 | 26,258.66 | -66.07 |
| ग्रामीण विकास विभाग | राजस्व | 2,82,562.05 | 2,71,907.83 | 2,70,044.85 | -4.43 |
| | पूंजीगत | 4.14 | 4.28 | 3.98 | -3.86 |
| | कुल | 2,82,566.19 | 2,71,912.11 | 2,70,048.83 | -4.43 |

*स्रोत : बीई 2025-26 तथा आरई 2024-25 के लिए अनुदानों की मांगों का सारांश 2025-26 तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के वास्तविक आंकड़ों के लिए अनुदानों की मांगों का सारांश 2026-27।*

## अनुलग्नक 2.6

(पैरा 2.4 छ देखें)

## पूंजीगत तथा राजस्व खंड पर व्यय के वास्तविक आंकड़ों का बीई तथा आरई के साथ वर्षवार तुलनात्मक विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | व्यय | बीई | आरई | वास्तविक | वास्तविक आंकड़ों का अंतर (प्रतिशत में) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | बीई से | आरई से |
| **2022-23** | राजस्व | 35,08,291.18 | 37,91,422.93 | 37,83,698.48 | 7.85 | -0.20 |
| | पूंजीगत | 6,11,189.01 | 6,20,204.05 | 6,24,757.22 | 2.22 | 0.73 |
| | ऋण और अग्रिम | 1,70,812.38 | 1,38,488.14 | 1,42,058.24 | -16.83 | 2.58 |
| | कुल | 42,90,292.57 | 45,50,115.12 | 45,50,513.94 | 6.07 | 0.01 |
| **2023-24** | राजस्व | 38,50,443.72 | 39,00,203.96 | 38,54,082.21 | 0.09 | -1.18 |
| | पूंजीगत | 8,38,127.09 | 8,26,132.83 | 8,07,180.34 | -3.69 | -2.29 |
| | ऋण और अग्रिम | 2,06,252.57 | 1,87,938.77 | 1,91,309.65 | -7.24 | 1.79 |
| | कुल | 48,94,823.38 | 49,14,275.56 | 48,52,572.20 | -0.86 | -1.26 |
| **2024-25** | राजस्व | 40,85,175.38 | 40,96,607.07 | 39,87,373.71 | -2.39 | -2.67 |
| | पूंजीगत | 9,19,695.44 | 8,51,881.22 | 8,58,256.01 | -6.68 | 0.75 |
| | ऋण और अग्रिम | 2,64,156.70 | 2,40,977.05 | 2,39,459.68 | -9.35 | -0.63 |
| | कुल | 52,69,027.52 | 51,89,465.34 | 50,85,089.40 | -3.49 | -2.01 |

*स्रोत : बीई तथा आरई के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण तथा वास्तविक आंकड़ों के लिए यूजीएफए।*

## अनुलग्नक 3.1
## (पैरा 3.1.1 देखें)
## जुटाए गए लेकिन वसूल न किए गए कर राजस्व

(₹ लाख करोड़ में)

| | | वित्तीय वर्ष 2023-24 | वित्तीय वर्ष 2024-25 | अंतर |
|---|---|---|---|---|
| सकल कर राजस्व | | 34.66 | 37.96 | |
| जुटाए गए लेकिन वसूल न किए गए कर राजस्व | कुल | 31.11 | 38.40 | 7.29 |
| | 'विवादित' | 15.40 | 17.89 | 2.49 |
| | 'अविवादित' | 15.71 | 20.51 | 4.80 |
| संगृहीत कुल कर के प्रतिशत के रूप में जुटाए गए लेकिन वसूल न किए गए कर राजस्व | | 89.76 *प्रतिशत* | 101.16 *प्रतिशत* | |

*स्रोत: वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए क्रमशः प्राप्ति बजट 2025-26 तथा 2026-27 में निहित प्रकटीकरण विवरणी डी1 - जुटाए गए लेकिन वसूल न किए गए कर राजस्व।*

# शब्दावली

# शब्दावली

| | |
|---|---|
| **वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)** | संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार की उस वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का विवरण, जिसे "वार्षिक वित्तीय विवरण" कहा जाता है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत कराते हैं। प्राप्तियों तथा संवितरणों को उन तीन भागों के अंतर्गत दर्शाया जाता है, जिनमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं, अर्थात् (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि, तथा (iii) लोक लेखा। |
| **बजट एक नज़र** | इस दस्तावेज़ में संक्षेप में प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ-साथ कर राजस्व, अन्य प्राप्तियों तथा केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को हस्तांतरित संसाधनों का व्यापक विवरण दिया गया है। इस दस्तावेज़ में सरकार के घाटों का भी विवरण प्रस्तुत किया गया है। |
| **भारत की संचित निधि** | भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिल जारी करके लिए गए सभी ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा सरकार को ऋणों की अदायगी के रूप में प्राप्त सभी धनराशियाँ, संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अधीन स्थापित "भारत की संचित निधि" का भाग होंगी। |
| **लोक लेखा** | संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अनुसार, भारत की संचित निधि में जमा की जाने वाली धनराशियों के अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी लोक धनराशियाँ भारत के लोक लेखा में जमा की जाती हैं। ये ऐसी धनराशियाँ हैं, जिनके संबंध में सरकार मुख्यतः एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। |
| **वित्त लेखा** | वित्त लेखों में प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखों के साथ-साथ राजस्व एवं पूंजी लेखों द्वारा प्रकट वित्तीय परिणाम, लोक ऋण के लेखे तथा लेखों में अभिलिखित शेषों के आधार पर निर्धारित देयताओं एवं परिसंपत्तियों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। |
| **राजकोषीय नीति** | सरकार की राजकोषीय नीति का संबंध सरकारी राजस्व जुटाने तथा सरकारी व्यय करने से है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय एवं संसाधन प्रबंधन संबंधी उत्तरदायित्वों का निर्वहन किस प्रकार किया गया है। |

| | |
|---|---|
| **सकल घरेलू उत्पाद** | सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) किसी देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि, सामान्यतः एक वर्ष, के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है। इसमें निर्धारित क्षेत्र के भीतर होने वाले सभी निजी एवं सार्वजनिक उपभोग, सरकारी व्यय, निवेश तथा निर्यात में से आयात को घटाकर प्राप्त मूल्य सम्मिलित होता है। जीडीपी की गणना निर्दिष्ट आधार वर्ष के संदर्भ में स्थिर मूल्यों पर तथा वर्तमान मूल्यों पर भी की जाती है (जिसमें मुद्रास्फीति अथवा समग्र मूल्य स्तर में वृद्धि के कारण होने वाले मूल्य परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है)। |
| **गारंटी** | संविधान का अनुच्छेद 292 संसद द्वारा, यदि कोई सीमा निर्धारित की जाए, तो उसके अधीन भारत की संचित निधि की गारंटी पर गारंटी देने तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करता है। |
| **राजस्व घाटा** | राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता। |
| **राजस्व व्यय** | परिसंपत्तियों के अनुरक्षण, मरम्मत, रखरखाव तथा परिचालन व्यय, जो उन्हें कार्यशील स्थिति में बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं, तथा स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय सहित संगठन के दैनिक संचालन पर होने वाले अन्य सभी व्यय राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों तथा अन्य संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदानों को भी राजस्व व्यय माना जाता है, भले ही उनमें से कुछ अनुदानों का उद्देश्य पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन करना हो। |
| **राजस्व प्राप्तियां** | इनमें सरकार द्वारा अधिरोपित करों एवं शुल्कों से प्राप्त आय, सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर प्राप्त ब्याज एवं लाभांश तथा सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क एवं अन्य प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं। |
| **प्रभावी राजस्व घाटा** | प्रभावी राजस्व घाटा राजस्व घाटे तथा पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए दिए गए अनुदानों के मध्य का अंतर है। इसकी व्याख्या सरकार के चालू व्यय (राजस्व खाते पर) तथा राजस्व प्राप्तियों में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए दिए गए उन अनुदानों को घटाने के पश्चात प्राप्त अंतर के रूप में की जा सकती है, जिन्हें राजस्व व्यय के रूप में अभिलिखित किया जाता है। |

| | |
|---|---|
| **पूंजीगत व्यय** | पूंजीगत प्रकृति का व्यय व्यापक रूप से उस व्यय को कहा जाता है, जो या तो भौतिक एवं स्थायी प्रकृति की मूर्त परिसंपत्तियों में वृद्धि करने अथवा आवर्ती देयताओं को कम करने के उद्देश्य से किया जाता है। |
| **पूंजीगत प्राप्ति** | पूंजीगत प्राप्तियों में सरकार द्वारा लिए गए ऋण, भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त उधार तथा विदेशी सरकारों/संस्थाओं से लिए गए ऋण सम्मिलित हैं। इनमें सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली तथा सरकार की परिसंपत्तियों के विक्रय से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है, जिसमें सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की इक्विटी के विनिवेश से प्राप्त आय भी शामिल है। |
| **राजकोषीय घाटा** | किसी वित्तीय वर्ष के दौरान भारत की संचित निधि से ऋण के पुनर्भुगतान को छोड़कर किए गए कुल संवितरण, उसी निधि में ऋण प्राप्तियों को छोड़कर प्राप्त कुल प्राप्तियों से जितने अधिक होते हैं, वह राजकोषीय घाटा कहलाता है। |
| **बाह्य ऋण** | विदेशी सरकारों तथा विदेश स्थित वित्तीय संस्थानों से सरकार द्वारा, मुख्यतः विदेशी मुद्रा में, लिए गए द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय ऋण। |
| **आंतरिक ऋण** | आंतरिक ऋण में भारत के भीतर लिए गए ऋण सम्मिलित हैं। यह केवल उन ऋणों तक सीमित है, जिन्हें लेकर भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है। |
| **ऋण और अग्रिम** | इसमें संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, विदेशी सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी कर्मचारियों आदि को दिए गए ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं। |
| **लोक ऋण** | भारत की संचित निधि में लिए गए आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से प्राप्त सरकारी ऋण को लोक ऋण कहा जाता है। |

© भारत के नियंत्रक  एंव  महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/pt/delhi/hi/page-pt-delhi-union-reports